

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 19.6.2002

की
कार्य-सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण


६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 19 नून,
2002 में विचारणीय विषयों की कार्य-सूची।

विषय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.12.2001 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
2.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.12.2001 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	12
3.	लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष 2001-2002 का वास्तविक तथा मूल बजट 2002-2003	24
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्सशीट वर्ष 200-2001	25
5.	स्वैच्छिक शमन योजना 1998 के अन्तर्गत प्राधिकरण बोर्ड के निर्देशानुसार भू-उपयोग परिवर्तन के अवशेष प्रकरणों से सम्बन्धित प्रस्ताव।	26
6.	आवासीय भूखण्डों का भू-उपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने से सम्बन्धित।	28
7.	श्री गिर्जा महमूद हुसैन 292/86, तुलसीदास मार्ग पर स्वे. शमन योजना के अन्तर्गत आंशिक भूमि को आवासीय भू-प्रयोग से व्यवसायिक भू-प्रयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	30
8.	एकल आवासीय/गुप-हाउसिंग के फी-होल्ड करने के सम्बन्ध में पूर्व नीति पर पुनर्विचार के सम्बन्ध में।	34
9.	भूखण्ड संख्या बी-973/सी, सेक्टर ए, महानगर गृह निर्माण योजना के जोनल प्लान में भू-उपयोग पार्क दर्ज हो जाने को आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।	36

10.	शासनादेश संख्या : 4784/9-आ-1-29-विविध/98 [अ.ब.], दिनांक 15 सितम्बर, 2001 “ विकास प्राधिकरण भवन निर्माण उपविधि 2000 में आवश्यक संशोधनों” को अंगीकृत किये जाने से सम्बन्धित।	38
11.	शासन से प्राप्त संशोधित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किये जाने से सम्बन्धित।	45
12.	गोमती नगर योजना के विरान खण्ड में नेशनल होम्योपैथिक कालेज एवं चिकित्सालय को पूर्व आवंटित 5 एकड़ भूमि के निकट सभागार, हर्बल गार्डन/हस्बेरियम व खेल के मैदान हेतु 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित किये जाने से सम्बन्धित।	50
13.	श्री गंगाराम पाण्डेय को कानपुर रोड योजना में आवंटित भूखण्ड ई-2/38, एच के स्थान पर जानकीपुरम विस्तार योजना में भूखण्ड समायोजन के सम्बन्ध में।	60
14.	ग्रुप कैप्टन के.डी.कपूर को आवंटित भूखण्ड बीबी-8 सेक्टर बी, अलीगंज विवादित होने के कारण गोमती नगर में वैकल्पिक भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने से सम्बन्धित।	61
15.	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।	



विषय संख्या : 01

पृष्ठ संख्या : 01

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के कार्यवृत्त
का पुष्टिकरण।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 का
कार्यवृत्त पुष्टि हेतु अवलोकनार्थ
संलग्न है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18 दिसम्बर, 2001
का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:

1. श्री सौरभ चन्द्र आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री दिवाकर त्रिपाठी उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्री जीवेश नन्दन जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. श्री संजय भूसरेड्डी विशेष सचिव, आवास, उ.प्र. शासन।
5. श्री एस.पी.सिंह मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
6. श्री वी.के.गुप्ता मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
7. श्रीमती रीता विशाल संयुक्त निदेशक, उद्योग।
8. श्री राम अंधार सिंह सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
9. डा. सियाराम सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10. श्री जयपाल सिंह सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11. श्री के.के.अग्रवाल प्रतिनिधि, मुख्य अभियन्ता, नलनिगम।
12. श्री एस.एम.ए. वुखारी मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि, विशेष आगन्त्री, आवास आयुक्त।
13. श्री अचिनास मिश्र प्रतिनिधि विशेष आगन्त्री, महानिदेशक, पर्यटन।

अन्य उपस्थिति:

1. कृ. रेखा गुप्ता सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2. श्री भूपेन्द्र सिंह अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3. श्री मनमोहन मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा०।
4. श्री ललित मेहरोत्रा मुख्य अभियन्ता, ल०वि०प्रा०।
5. श्री अरुण भूषण मुख्य नगर नियोजक, ल०वि०प्रा०।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जून, 2001 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जून, 2001 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जून, 2001 तथा पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :

1. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरुवा की अधिग्रहीत भूमि के सम्वन्ध में समयवध्द कार्यक्रम बनाकर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराई जाये। इस मद में हुए विलम्ब के लिये स्त्रेद व्यव्त किया गया। इस परियोजना के प्रभारी अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह से अपेक्षा की गई कि वह इस योजना की प्रत्येक सोमवार को समीक्षा करके प्रगति लाये।
2. भूखण्ड संख्या: एनएच-2, विश्वास खण्ड के प्रकरण पर पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समयवध्द कार्यवाही कराकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाये।
3. जनपथ स्थित विकास भवन के किराये की अवशेष धनराशि हेतु रान्य सम्पत्ति विभाग के आय-व्ययक में मांग शामिल कराई जाये। इसके लिये मुख्य लेखा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। यह स्त्रेद जनक है कि शासन स्तर पर बैठक आयोजित नहीं कराई गई है।
4. मा0 उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि के विरुध्द धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव, 3040 शासन के स्तर पर बैठक आयोजित कराई जाये।
5. कैलाशकुंज स्थित पार्किंग स्थल की नीलागी 10.1.2002 तक सुनिश्चित करायी जाये। अन्य पार्कों के पवेश शुल्क, कैंटीन, पार्किंग आदि के भी ठेके प्रथा से उठाये जाये।
6. गांधी सेतु की अन्तिम अर्थ-विवेचना शीघ्र तैयार कराई जाये।
7. विभिन्न चार्जज में वृध्द का प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

8. हाटगिक्स प्लान्ट की लाभ-हानि की गणना प्रस्तुत नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।
9. विनीत खण्ड स्टेडियम को खेलने योग्य शीघ्र बनाया जाये।
10. सम्पत्ति से किराये, जल मूल्य तथा सीवर चार्ज की मांग प्रस्तुत की जाये।
11. आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्ड, आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों तथा दुकानों से प्राप्त होने वाली वकाया किस्त की अनुमानित मांग प्रस्तुत की जाये।
12. कम्प्यूटराइजेशन के फलस्वरूप 3000 ऐसी व्यवसायिक सम्पत्ति चिह्नित की गई हैं, जो आवंटित नहीं की गई है। इनका तत्काल आवंटन किया जाये। सचिव इनके इतनी लम्बी अवधि तक अनावंटित रहने के लिये कारणों की जांच करके अवगत करायेगे।

विषय संख्या : 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या ।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया निम्नांकित निर्देश दिये गये :-

1. पुनरीक्षित आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. प्रगति रिपोर्ट में प्रत्येक कार्य के समक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम का उल्लेख किया जाये।
3. वेगम हजरतमहल पार्क का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये।
4. राजस्व व्यय को राजस्व आय तथा पूंजीगत आय के 10 प्रतिशत के योग तक सीमित रखने का प्रयास किया जाये।

विषय संख्या : 4

शासन से प्राप्त जीविंग रेगुलेशन के प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उत्तर प्रदेश, एक सप्ताह के अन्दर अपने निष्कर्ष उपलब्ध करा दें। प्राप्त निष्कर्षों सहित इस प्रस्ताव को परिचालन द्वारा अंगीकृत किये

जाने की स्वीकृति प्राप्त कर इसे शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

विषय संख्या : 5 कैसरवाग स्थित गण्डी स्थल पर प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचार विमर्श के उपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई।

7. "कनसेप्ट डिजाइन एवं प्री-ववालीफिकेशन के लिये मुहरबन्द टेन्डर से खूली विड प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्री-ववालीफिकेशन विड पर विचार करने हेतु उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ.प्र. तथा मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. सदस्य होंगे।"

विषय संख्या : 6 गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्डों में भू-प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. विशेष खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या: 2/1 ए व 2/1 पी सुविधाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड का भू-प्रयोग आवासीय में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे विकास प्राधिकरण को लगभग 70.00 लाख रुपये का लाभ होने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष ने अवगत कराया।
2. विपुल खण्ड के भूखण्ड संख्या : 3/8 व 3/9 का भू-प्रयोग व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि इस प्रस्ताव की स्वीकृति से प्राधिकरण को लगभग 35.00 लाख रुपये का लाभ होगा।
3. विशाल खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या: सी.पी.-3 का भू-उपयोग गुप-हाउसिंग किये जाने की स्वीकृति के साथ ही निर्देश दिये गये कि इसका नीलाम शीघ्र किया जाये। यह भी अवगत कराया कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित व्यवसायिक, गुप-हाउसिंग तथा आवासीय दरों पर आरक्षित मूल्य क्रमशः रु0 5,000/-, 3,750/- रुपये तथा रुपये 2,500/- प्रति वर्ग मीटर होगा।

विषय संख्या : 7 शमन एवं स्वेच्छिक शमन के अवशेष प्रकरणों पर विचार।

निर्णय : स्थगित किया गया।

- विषय संख्या : 8 दिनांक 1.1.96 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शासनादेश संख्या सा-1721/दस-308/97 दिनांक 23 दिसम्बर 1997 के अनुसार पुनरीक्षित दर से पेन्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय: प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में समस्त सम्बन्धित विन्दुओं को सम्मिलित करते हुए निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।
- विषय संख्या : 9 गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवंटित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग "पार्क एवं कीड़ा स्थल" से वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर प्राधिकरण की संस्तुति भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को प्रेषित की जाये।
- विषय संख्या : 10 भूखण्ड संख्या : 29 पार्क रोड पर स्थित प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. द्वारा आवासीय क्षेत्र में कार्यालय सम्बन्धी भू-उपयोग हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचार विमर्श के मध्य मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ.प्र. द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इस प्रस्ताव का परीक्षण नहीं किया गया है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को परीक्षण हेतु मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ.प्र. को सन्दर्भित कर दिया जाये।
- विषय संख्या : 11 वजीर हसन रोड स्थित भूखण्ड संख्या : 214 का परिवर्तन गोमती नगर योजना में किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूखण्ड परिवर्तन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भूगतान की तिथि को प्रचलित दर पर समतुल्य क्षेत्रफल दिया जायेगा। शेष क्षेत्रफल वर्तमान दर पर दिया जायेगा।
- विषय संख्या : 12 भूमि खसरा संख्या : 605/1. चिनहट के समायोजन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव पर विचार विमर्श के मध्य अवगत कराया गया कि प्रकरण, शासनादेश के प्राविधानों से आच्छादित नहीं होता है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रकरण को निर्णय हेतु शासन को उचित निर्णय एवं ऐसे प्रकरणों में नीति निर्धारित करने हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये।
- विषय संख्या : 13 प्राधिकरण के विभिन्न निर्माण/विकास तथा आपूर्ति के कार्यों हेतु निविदा आमन्त्रण की प्रक्रिया तथा विभिन्न सम्पत्तियों की

रजिस्ट्री करने से पूर्व ' पेमेन्ट शिड्यूल' संलग्न करने के सम्बन्ध में संशोधित की गई प्रक्रिया।

निर्णय : वर्तमान में प्रचलित संशोधित प्रक्रिया पर अवलोकनीपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय संख्या : 14 फार्महाउस हेतु श्रीमती शशि प्रभा द्वारा ग्राम उत्तरधौना, जिला लखनऊ स्थित खसरा संख्या : 580, 485, 578स, 579, 581, 582, 583, 585, 587 व 584 पर प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

अनु.विषय संख्या: 1 लखनऊ महायोजना 2001-2021 की संरचना, प्रगति आख्या।

निर्णय : महायोजना बनाये जाने के प्रगति विवरण का अवलोकन किया गया। मे० सी०३०एस० द्वारा पूर्व में किये गये असन्तोषजनक कार्यों एवं अनावश्यक समय विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि मे० सी०३०एस० के साथ किये गये अनुबन्ध को तत्काल निरस्त किया जाये तथा मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा उनके द्वारा इंगित 7 माह की समय सीमा { 31.7.2002 } तक इस कार्य को पूर्ण किया जाये।

अनु.विषय संख्या: 2 प्राधिकरण में प्रस्तावित जोनल व्यवस्था।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर इसे लागू किये जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों तथा आवश्यक संशोधन आदि समावेशित कर प्रस्ताव को और अधिक आकर्षित एवं लाभ-प्रद रूप प्रदान करने हेतु एक उपसमिति उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

1. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, 3090
2. मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
3. श्री राम अघार सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।

अनु.विषय संख्या: 3 प्राधिकरण की मुख्य योजनाओं में अतिक्रमण से आच्छादित योजनाओं का विवरण।

निर्णय : प्रस्तुत किये गये विवरण का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस विवरण को मैनेजमेन्ट आडिट रिपोर्ट से भी रिक्रनसाइल कर लिया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि अतिक्रमण से आच्छादित भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराया जाये तथा पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का निस्तारण सूली नीलागी के माध्यम से शीघ्र कराया जाये।

- अनु.विषय संख्या: 4 स्वैच्छिक शमन योजना 1998 में निरस्त प्रकरणों पर पुनर्विचार से सम्बन्धित।
- निर्णय : प्रस्ताव स्थगित किया गया।
- अनु.विषय संख्या : 5 गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-1 में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : 5 व 6 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के मध्य यह पाया गया कि प्रस्ताव में समस्त सूचनाएँ सम्मिलित नहीं की गई हैं। अतः समस्त सूचनाओं से युक्त पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश सहित प्रस्ताव स्थगित किया गया।
- अनु.विषय संख्या : 6 सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
- अनु.विषय संख्या: 7 स्व. गेजर उब्बिश जेतली की पत्नी श्रीमती सीमा जेतली को भवन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा ऐसे अन्य प्रकरणों में पूर्व निर्णय की भांति विक्रय मूल्य में 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने का निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।
- अनु.विषय संख्या: 8 कानपुर रोड भाग-4 (शारदा नगर योजना) के अन्तर्गत सेनानी विहार कल्याण समिति के भवनों/भूखण्डों के समायोजन के सम्बन्ध में।
- निर्णय: विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण शासनादेश के प्राविधानों से आच्छादित नहीं होता है, अतः इसे शासन की उचित निर्णय एवं नीति बनाने हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये।
- अनु. विषय संख्या: 9 कानपुर रोड भाग-1 व 2 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के बदले व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में किये गये अनुबन्ध के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जाये।

- अनु.विषय संख्या: 10 कानपुर रोड भाग-4 के अन्तर्गत शारदा नगर योजना के रवि खण्ड के निकट लगभग 15 बीघा जमीन विकास हेतु लाइसेन्स के आधार पर एलडिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि. के पक्ष में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पहले याचिका को निरस्त कराया जाये। तदुपरान्त निर्म्मांकित समिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे:
1. जिलाधिकारी, लखनऊ
 2. उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा10
 3. डा10 सियाराम, सदस्य, ल.वि.प्रा.
 4. अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति
 5. मुख्य लेखाधिकारी, ल0वि0प्रा10
- समिति इस प्रस्ताव में प्राधिकरण को होने वाली अनुमानित हानि/लाभ का भी आगणन करेगी।
- अनु.विषय संख्या: 11 गोमती नगर योजना फेज-2 स्थित मोटर सेल्स तथा हरविलास कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट।
- निर्णय : समयभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका।
- अनु.विषय संख्या: 12 श्री युधिष्ठिर मिश्र को प्रियदर्शनी योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या : वी-1/21 डी का सम्पूर्ण व्याज माफ किये जाने से सम्बन्धित।
- निर्णय : समयभाव के कारण स्थगित किया गया।
- अनु.विषय संख्या: 13 विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 हेतु शासन से दिनांक 15.9.2000 एवं 8 जून, 2001 को प्राप्त परिष्कारों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
- निर्णय : प्राप्त उपविधि एवं परिष्कारों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
- अनु.विषय संख्या: 14 सफलता की कहानी।
- निर्णय: प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया।
- अनु.विषय संख्या: 15 कानपुर रोड योजना में गे. अक्सल हाउसिंग द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन सुविधाओं हेतु आरक्षित स्थलों पर अन्य निर्माण कर लिये गये उन्हे स्वीकृति के अनुरूप पुनर्स्थापित किया जाये। संशोधित ले-आउट में सेवाओं के लिये निर्धारित प्रतिशत मूल ले-आउट में सेवाओं के लिये निर्धारित प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। यदि यह सम्भव नहीं है तो वर्तमान दर से उचित क्षेत्रफल की धनराशि प्राधिकरण में जमा करे जिससे समीपस्थ स्थल पर भूमि प्राप्त कर उचित सुविधाओं की प्रतिपूर्ति की जा सके। इन दिशा निर्देशों के आधार पर मे. अन्सल से विचार-विमर्श किया जाये। विचार-विमर्श के समय एसोसियेशन के सदस्य भी उपस्थित रहेगे।

अनु.विषय संख्या : 16 श्रीमती शीला चतुर्वेदी को आवंटित भवन ए-15 अलीगंज पर आरोपित दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अनु.विषय संख्या : 17 कानकरेन्ट आडिट रिपोर्ट जुलाई 2001 पर विन्दुवार आख्या।

निर्णय : मे. राजीव नन्दन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए तथा उन्होंने मैनेजमेन्ट आडिट के अन्तर्गत अनेक विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनमें मुख्य विसंगतियां भूमि अर्जन, भूमि के वारतविक कब्जे, अनाधिकृत अतिक्रमण से आच्छादित भूमि, भूमि अर्जन के प्रतिकर, विधुत सम्बन्धी अपूर्ण कार्यों, शासन से प्राप्त ऋण की अदायगी, वेलेन्स शीट का समय से तैयार न किया जाना तथा बैंकों के रिक्नसिलियेशन के सम्बन्ध में दर्शाई गई।

इंगित की गई विसंगतियों के समयवद्ध निस्तारण हेतु निम्नांकित निर्देश दिये गये :-

1. उपाध्यक्ष अपने स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं मुख्य लेखाधिकारी के साथ शीघ्र बैठक कर विसंगतियों का निराकरण करायें।
2. विधुत के अधूरे कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाये।
3. अधिक बैंकों में सूले खातों को तत्काल बन्द किया जाये तथा बैंकों को रिक्नसाइल कराकर आगामी बैठक में सूचना प्रस्तुत की जाये।
4. 15 जनवरी, 2001 तक अध्याधिक वेलेन्सशीट तैयार कराई जाये।

अनु.विषय संख्या: 18 अमर शहीद पथ के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त रोधदान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। एच.डी.एफ.सी. को शुल्क के मद में रु0 14.00 लाख भुगतान किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में नियोजन की कार्यवाही शीघ्र पूर्णकराकर गोमती नगर तथा सुलतानपुर रोड की ओर से एक-एक सेक्टर में पंजीकरण खोल दिया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि परियोजना के ले-आउट का प्रस्तुतीकरण भी शीघ्र सुनिश्चित कराया जाये।

अनु.विषय संख्या: 19 श्री गंगाराम पाण्डे को कानपुर रोड योजना में आवण्टित भूखण्ड संख्या : ई-2/38 सेक्टर एच के स्थान पर जानकीपुरम विस्तार योजना में भूखण्ड समायोजन के सम्बन्ध में।

निर्णय: समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।

अन्य बिन्दु :

1. व्यवसायिक भूखण्डों के बड़े वकायेदारों की प्रस्तुत की गई सूची का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि सभी बड़े वकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार रिकवरी सर्टिफिकेट निर्गत किये जायें। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यवाही जैसे काली सूची में डालने के विषय में भी विचार किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये विगत कई वर्षों से व्यवसायिक सम्पत्तियों से वकाया वसूली न किये जाने एवं इसका अनुश्रवण सही प्रकार से न किये जाने से सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

2. विचार विमर्श के मध्य मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम द्वारा अवगत कराया गया कि फेजावाद रोड पर श्री कुंवर नारायण द्वारा एक व्यवसायिक भवन का भवन मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। इस भवन मानचित्र को स्वीकृत कराने में पक्ष द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया कि उसने नाले को कवर किया है। अतः निर्देश दिये गये कि तत्काल निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-


1. तथ्यों को छुपाकर भवन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु सम्बन्धित पक्ष के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये।


2. भवन मानचित्र की स्वीकृति को तत्काल निरस्त किया जाये।

3. सम्बन्धित आवर्कटेक्ट का पंजीकरण निरस्त किया जाये।


4. कौन्सिल आफ आर्कीटेक्ट्स को भी सम्बन्धित आर्कीटेक्ट के विरुद्ध नियमानुसार सख्त से सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुति भेजी जाये।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।


श्री० रेखा गुप्ता
सचिव


दिवाकर त्रिपाठी
उपाध्यक्ष

अ नु मो दि त


श्री० सुरेश चन्द्र
31/12/2001

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

विषय संख्या : 2

पृष्ठ संख्या : 12{1}

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 में लिये गये
निर्णयों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन आख्या

लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक

18 दिसम्बर, 2001

में लिये गये निर्णयों

की अनुपालन आख्या

अवलोकनार्थ संलग्न है।

विषय संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जून, 2001 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जून, 2001 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।	नोट किया गया।
2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25 जून, 2001 तथा पूर्व बैठकों में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	<p>प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरुख की अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कराई जाये। इस मद में हुए विलम्ब के लिये खेद व्यक्त किया गया। इस परियोजना के प्रभारी अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह से अपेक्षा की गई कि वह इस योजना की प्रत्येक सोमवार को समीक्षा करके प्रगति लायें। 2. भूखण्ड संख्या: एनएच-2, विश्वास खण्ड के प्रकरण पर पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार समयबद्ध कार्यवाही कराकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जाये। 3. जनपथ रिथत विकास भवन के किराये की अवशेष धनराशि हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग के आय-व्ययक में मांग शामिल कराई जाये। इसके लिये 	<p>कानपुर रोड योजना भाग चार के अन्तर्गत ग्राम भदरुख की अधिग्रहीत भूमि को अध्यासियों के पक्ष में आवंटित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>नगर निगम से अनापत्ति प्राप्त हो गई है। अग्रेतर कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जायेगी।</p> <p>अवशेष रु 220.00 लाख की मांग राज्य सम्पत्ति विभाग के आय-व्ययक में सम्मिलित करने हेतु पत्र दिनांक 31.01.2002 को भेज दिया गया है।</p>

		<p>मुख्य लेखा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। यह खेदजनक है कि शासन स्तर पर बैठक आयोजित नहीं कराई गई है।</p>	
4.	<p>मा10 उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि के विरुद्ध धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव, 30.10.2002 शासन के स्तर पर बैठक आयोजित कराई जाये।</p>	<p>प्रमुख सचिव, उ.प्र.शासन से, प्रकरण के निस्तारण हेतु मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के स्तर पर बैठक कराने हेतु निवेदन किया गया है।</p>	
5.	<p>कैलाशकुंज स्थित पार्किंग स्थल की नीलामी 10.1.2002 तक सुनिश्चित करायी जाये। अन्य पार्कों के प्रवेश शुल्क, कैंटीन, पार्किंग आदि के भी ठेके प्रथा से उठाये जाये।</p>	<p>निर्णयानुसार कार्यवाही की गई।</p>	
6.	<p>गांधी सेतु की अन्तिम अर्थ-विवेचना शीघ्र तैयार कराई जाये।</p>	<p>अर्थ-विवेचना तैयार कराई जा रही है।</p>	
7.	<p>विभिन्न चार्जेंज में वृद्धि का प्रस्ताव आगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>	<p>प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है।</p>	
8.	<p>हाटमिक्स प्लान्ट की लाभ-हानि की गणना प्रस्तुत नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया।</p>	<p>तत्कालीन अध्यक्ष महोदय को अवलोकित कराकर प्रकरण समाप्त किया गया।</p>	
9.	<p>विनीत स्टेडियम को खेल्ने योग्य शीघ्र बनाया जाये।</p>	<p>प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया है।</p>	

		<p>10. सम्पत्ति से किराये, जल मूल्य तथा सीवर चार्जों की मांग प्रस्तुत की जाये।</p> <p>11. आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्ड, आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों तथा दुकानों से प्राप्त होने वाली बकाया फिश्त की अनुमानित मांग प्रस्तुत की जाये।</p> <p>12. कम्प्यूटराइजेशन के फलस्वरूप 3000 ऐसी व्यवसायिक सम्पत्ति चिन्हित की गई है, जो अनावण्टित नहीं की गई है। इनका तत्काल आवण्टन किया जाये। सचिव इनके इतनी लम्बी अवधि तक अनावण्टित रहने के लिये कारणों की जांच करके अवगत करायेगे।</p>	<p>प्रस्तुत किये जा रहे आय-व्ययक में मांग सम्मिलित कर ली गई है।</p> <p>आय-व्ययक में मांग सम्मिलित की गई।</p> <p>पूर्व अनावण्टित व्यवसायिक सम्पत्तियों का कम्प्यूटराइजेशन न होने के कारण ऐसी भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हुई, उन्हें रिक्त/अनावण्टित दर्शा दिया गया था। कुछ सम्पत्तियां जो अनावण्टित हैं उन्हें निविदा/नीलामी के माध्यम से प्राथमिकता पर निस्तारित कराया जा रहा है।</p>
3	<p>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विगत त्रैमास में किये गये कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या।</p>	<p>प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया निम्नांकित निर्देश दिये गये :-</p> <p>1. पुनरीक्षित आय-व्ययक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।</p> <p>2. प्रगति रिपोर्ट में प्रत्येक कार्य के समक्ष सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम का उल्लेख किया जाये।</p> <p>3. वेगम हजरतमहल पार्क का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाये।</p>	<p>वर्तमान वित्तीय वर्ष का आय-व्ययक प्रस्तुत किया जा रहा है।</p> <p>नोट किया गया।</p> <p>कार्य पूर्ण करा दिया गया है।</p>

		4. राजस्व व्यय को राजस्व आय तथा पूनीगत आय के 10 प्रतिशत के योग तक सीमित रखने का प्रयास किया जाये।	निर्णयानुसार प्रस्तुत आय-व्ययक तैयार किया गया है।
4	शासन से प्राप्त जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उत्तर प्रदेश, एक सप्ताह के अन्दर अपने निष्कर्ष उपलब्ध करा दें। प्राप्त निष्कर्षों सहित इस प्रस्ताव को परिचालन द्वारा अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्राप्त कर इसे शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।	अंगीकृत किये जाने से पूर्व शासन से कुछ मार्गदर्शन प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
5	कैसरबाग स्थित मण्डी स्थल पर प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	कैसरबाग स्थित मण्डी स्थल पर प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में। "कनसेट डिजाइन एवं प्री-ववालीफिकेशन के लिये मुहरबन्द टेन्डर से खुली बिड प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्री-ववालीफिकेशन बिड पर विचार करने हेतु उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ.प्र. तथा मुख्य नगर नियोजक, ल.वि. प्रा. सदस्य होंगे।"	निर्णयानुसार कार्यवाही प्रगति पर है।
7	शमन एवं स्वेचिक शमन के अवशेष प्रकरणों पर विचार।	स्थगित किया गया।	पुनः अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
8	दिनांक 1.1.96 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शासनादेश संख्या सा-1721/दस-308/97 दिनांक 23 दिसम्बर 1997 के अनुसार पुनरीक्षित दर से पेन्शन दिये जाने	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में समस्त सम्बन्धित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए निर्णय हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिया जाये।	निर्णयानुसार शासन को सन्दर्भित किया गया।

	के सम्बन्ध में।		
9	गोमती नगर योजना के विभिन्न खण्ड में पर्यटन विभाग को पर्यटन भवन हेतु आवंटित भूमि के आंशिक भाग के भू-प्रयोग "पार्क एवं कीड़ा स्थल" से वाणिज्यिक खण्डीय विपणन केन्द्र परिवर्तन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव पर प्राधिकरण की संस्तुति भू-उपयोग परिवर्तन हेतु शासन को प्रेषित की जाये।	मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर शासन को अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।
10	भूखण्ड संख्या : 29 पार्क रोड पर स्थित प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. द्वारा आवासीय क्षेत्र में कार्यालय सम्बन्धी भू-उपयोग हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	विचार विमर्श के मध्य मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ.प्र. द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा इस प्रस्ताव का परीक्षण नहीं किया गया है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को परीक्षण हेतु मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उ.प्र. को सन्दर्भित कर दिया जाये।	निर्णयानुसार पत्रावली परीक्षण हेतु मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश को दिनांक 18.1.2002 को प्रेषित की गई।
11	वजीर हसन रोड स्थित भूखण्ड संख्या : 214 का परिवर्तन गोमती नगर योजना में किये जाने से सम्बन्धित।	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूखण्ड परिवर्तन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि भुगतान की तिथि को प्रचलित दर पर समतुल्य क्षेत्रफल दिया जायेगा। शेष क्षेत्रफल वर्तमान दर पर दिया जायेगा।	निर्णय के अनुपालन में भूखण्ड संख्या: सी-3/38 विनयन्त खण्ड आवंटित/समायोजित कर दिया गया है।
12	भूमि खसरा संख्या : 605/1, चिनहट के समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार विमर्श के मध्य अवगत कराया गया कि प्रकरण, शासनादेश के प्राविधानों से आच्छादित नहीं होता है। अतः निर्णय लिया गया कि प्रकरण को निर्णय हेतु शासन को उचित निर्णय एवं ऐसे प्रकरणों में नीति निर्धारित करने हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये।	निर्णयानुसार विषय शासन को सन्दर्भित कर दिया गया है।

13	प्राधिकरण के विभिन्न निर्माण/विकास तथा आपूर्ति के कार्यों हेतु निविदा आमन्त्रण की प्रक्रिया तथा विभिन्न सम्पत्तियों की रजिस्ट्री करने से पूर्व ' पेमेंट शिड्यूल' संलग्न करने के सम्बन्ध में संशोधित की गई प्रक्रिया।	वर्तमान में प्रचलित संशोधित प्रक्रिया पर अवलोकनोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया।	नोट किया गया।
14	फार्महाउस हेतु श्रीमती शशि प्रभा द्वारा ग्राम उत्तरधौना, जिला लखनऊ स्थित खसरा संख्या : 580, 485, 578स, 579, 581, 582, 583, 585, 587 व 584 पर प्रस्तुत मानचित्र के सम्बन्ध में।	विचारोपरांत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण की गई। पक्ष को भवनचित्र निर्गत कर दिया गया है।
अनुपूरक 1	लखनऊ महायोजना 2001-2021 की संरचना, प्रगति आरख्या।	महायोजना बनाये जाने के प्रगति विवरण का अवलोकन किया गया। मे0 सी0३0५स0 द्वारा पूर्व में किये गये असन्तोषजनक कार्यों एवं अनावश्यक समय विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया कि मे. सी0३0५स0 के साथ किये गये अनुबन्ध को तत्काल निरस्त किया जाये तथा मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा उनके द्वारा इंगित 7 माह की समय सीमा (31.7.2002) तक इस कार्य को पूर्ण किया जाये।	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश को दिनांक 31.7.2002 तक कार्य पूर्ण किये जाने हेतु पत्र भेजा गया है। उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
अनुपूरक 2	प्राधिकरण प्रस्तावित व्यवस्था।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर इसे लागू किये जाने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों तथा आवश्यक संशोधन आदि समावेशित कर प्रस्ताव को और अधिक आकर्षित एवं लाभ-प्रद रूप प्रदान करने हेतु एक उपसमिति	प्रस्तावित की गई व्यवस्था का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

		<p>उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे: -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, 30प्र0 2. मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, 3. श्री राम अधार सिंह, सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। 	
अनुपूरक 3	प्राधिकरण की मुख्य योजनाओं में अतिक्रमण से आच्छादित योजनाओं का विवरण।	<p>प्रस्तुत किये गये विवरण का अवलोकन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि इस विवरण को मैनेजमेन्ट आडिट रिपोर्ट से भी रिकनसाइल कर लिया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि अतिक्रमण से आच्छादित भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराया जाये तथा पूर्व में अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि का निस्तारण खुली नीलामी के माध्यम से शीघ्र कराया जाये।</p>	निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
अनुपूरक 4	स्वैच्छिक शमन योजना 1998 में निरस्त प्रकरणों पर पुनर्विचार से सम्बन्धित।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।	प्रस्ताव पुनः विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
अनुपूरक 5	गोमती नगर योजना के विराम खण्ड-1 में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : 5 व 6 के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	<p>प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के मध्य यह पाया गया कि प्रस्ताव में समस्त सूचनायें सम्मिलित नहीं की गई हैं। अतः समस्त सूचनाओं से युक्त पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश सहित प्रस्ताव स्थगित किया गया।</p>	निर्णयानुसार पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।
अनुपूरक 6	सरोजनी नायडू पार्क में भूमिगत पार्किंग के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।	मा. न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पार्क एण्ड ओपन स्पेस एक्ट के सन्दर्भ में परियोजना की अनुमन्यता के परीक्षण हेतु विषय मुख्य विधि परामर्शी को सन्दर्भित

			किया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन एवं वित्तीय आवश्यकता का विवरण पुनरीक्षित किये जाने हेतु पूर्व आर्कीटेक्ट मे. राजेश एण्ड एसोसियेट्स को सन्दर्भित किया गया है।
अनुपूरक 7	स्व. गेजर उन्निश नेतली की पत्नी श्रीमती सीमा नेतली को भवन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई तथा ऐसे अन्य प्रकरणों में पूर्व निर्णय की भांति विक्रय मूल्य में 25 प्रतिशत की छूट दिये जाने का निर्णय लेने हेतु उपाध्यक्ष को अधिकृत किया गया।	निर्णय के अनुपालन में नेहरु इन्वलेव के अन्तर्गत फ्लैट संख्या : आर-181 आवंटित कर दिया गया है।
अनुपूरक 8	कानपुर रोड भाग-4 शारदा नगर योजना के अन्तर्गत सेनानी विहार कल्याण समिति के भवनों/भूखण्डों के समायोजन के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण शासनादेश के प्राविधानों से आच्छादित नहीं होता है, अतः इसे शासन को उचित निर्णय एवं नीति बनाने हेतु सन्दर्भित कर दिया जाये।	निर्णयानुसार शासन को सन्दर्भित किया गया।
अनुपूरक 9	कानपुर रोड भाग-1 व 2 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के बदले व्यवसायिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में किये गये अनुबन्ध के अनुरूप कार्यवाही सम्पादित की जाये।	निर्णय से पक्ष को अवगत करा दिया गया है।
अनुपूरक 10	कानपुर रोड भाग-4 के अन्तर्गत शारदा नगर योजना के रवि खण्ड के निकट लगभग 15 बीघा जमीन विकास हेतु लाइसेन्स के आधार पर एलडिको हाउसिंग ऐण्ड इन्डस्ट्रीज लि. के पक्ष में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पहले याचिका को निरस्त कराया जाये तदुपरान्त निम्नांकित समिति प्रस्ताव का परीक्षण कर अपनी संस्तुति प्रस्तुत करे: 1. जिलाधिकारी, लखनऊ 2. उपाध्यक्ष, लणवि0910 3. डा0 सियाराम, सदस्य, ल.वि.प्रा. 4. अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति 5. मुख्य लेखाधिकारी, लणवि0910	समिति से जिलाधिकारी का नाम उनके अनुरोध पर हटा दिया गया है। निर्णय के अनुपालन में याचिका को निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। याचिका के निस्तारण के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

		समिति इस प्रस्ताव में प्राधिकरण को होने वाली अनुमानित हानि/लाभ का भी आगणन करेगी।	
अनुपूरक 11	गोमती नगर योजना फेज-2 स्थित मोटर सेल्स तथा हरविलास कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट।	समयाभाव के कारण विचार नहीं किया जा सका।	प्रश्नगत विषय पूर्व में ही शासन को सन्दर्भित किया जा चुका है। अतः पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
अनुपूरक 12	श्री युधिष्ठिर मिश्र को प्रियदर्शनी योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या : वी-1/21 डी का सम्पूर्ण ब्याज माफ किये जाने से सम्बन्धित।	समयाभाव के कारण स्थगित किया गया।	पुनः प्रस्ताव ^{नहीं} प्रस्तुत किया जा रहा है।
अनुपूरक 13	विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2000 हेतु शासन से दिनांक 15.9.2000 एवं 8 जून, 2001 को प्राप्त परिष्कारों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राप्त उपविधि एवं परिष्कारों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।	निर्णयानुसार अनुमोदन हेतु दिनांक 8.1.2002 को शासन को पत्र भेज दिया गया है।
अनुपूरक 14	सफलता की कहानी।	प्रस्तुत विवरण का अवलोकन किया गया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
अनुपूरक 15	कानपुर रोड योजना में मं. अन्सल हाउसिंग द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिन सुविधाओं हेतु आरक्षित स्थलों पर अन्य निर्माण कर लिये गये उन्हें पूर्व स्वीकृति के अनुरूप पुनर्स्थापित किया जाये। संशोधित ले-आउट में सेवाओं के लिये निर्धारित प्रतिशत मूल ले-आउट में	निर्णयानुसार 5 मार्च, 2002 को प्राधिकरण स्तर से गठित समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें आशियाना रेजीडेन्स के प्रतिनिधि व अन्सल्स हाउसिंग के सदस्यों को भी बुलाया गया। समिति द्वारा

		सेवाओं के लिये निर्धारित प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। यदि यह सम्भव नहीं है तो वर्तमान दर से उचित क्षेत्रफल की धनराशि प्राधिकरण में जमा करें जिससे समीपस्थ स्थल पर भूमि प्राप्त कर उचित सुविधाओं की प्रतिपूर्ति की जा सके। इन दिशा निर्देशों के आधार पर मे. अन्सल से विचार-विमर्श किया जाये। विचार-विमर्श के समय एसोसियेशन के सदस्य भी उपस्थित रहेंगे।	लिये गये निर्णय की प्रति आशियाना रेजीडेन्ड्स व अन्सल्स हाउसिंग को प्रेषित की गई। मे. अन्सल द्वारा तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रकरण पुनः बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
अनुपूरक 16	श्रीमती शीला चतुर्वेदी को आवंटित भवन ए-15 अलीगंज पर आरोपित दण्ड ब्याज को माफ किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव स्थगित किया गया।	पुनः प्रस्ताव ^{नहीं} प्रस्तुत किया जा रहा है।
अनुपूरक 17	कान्क्रेन्ट आडिट रिपोर्ट जुलाई 2001 पर बिन्दुवार आख्या।	मे. राजीव नन्दन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित हुए तथा उन्होंने मैनेजमेन्ट आडिट के अन्तर्गत अनेक विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जिनमें मुख्य विसंगतियां भूमि अर्जन, भूमि के वास्तविक कब्जे, अनधिकृत अतिक्रमण से आच्छादित भूमि, भूमि अर्जन के प्रतिकर, विधुत सम्बन्धी अपूर्ण कार्यों, शासन से प्राप्त ऋण की अदायगी, बैलेन्स शीट का समय से तैयार न किया जाना तथा बैंकों के रिक्वैसिमेंटेशन के सम्बन्ध में दर्शाई गई। इंगित की गई विसंगतियों के समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्नांकित निर्देश दिये गये :- 1. उपाध्यक्ष अपने स्तर पर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं मुख्य लेखाधिकारी के साथ शीघ्र बैठक कर विसंगतियों का	विसंगतियों का निराकरण करा दिया गया है।

		<p>निराकरण कराये।</p> <p>2. विधुत के अधूरे कार्यों को तत्काल पूर्ण कराया जाये।</p> <p>3. अधिक बैंकों में खुले खातों को तत्काल बन्द किया जाये तथा बैंकों को रिक्वेसाइल कराकर आगामी बैठक में सूचना प्रस्तुत की जाये।</p> <p>4. 15 जनवरी, 2001 तक अघावधिक वेलेन्सशीट तैयार कराई जाये।</p>	<p>आवश्यक बैंकों को छोड़कर शेष बैंकों को खाता बन्द करने हेतु पत्र भेजा गया। वित्तीय वर्ष- 99 से 2000 तक प्रमुख बैंकों का समाधान कराया जा चुका है तथा 200-2001 का बैंक समाधान कराया जा रहा है। 2001 तक की वेलेन्सशीट तैयार की जा चुकी है।</p>
अनुपूरक 18	अमर शहीद पथ के सम्बन्ध में।	<p>प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैध्यान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई। एच. डी.एफ.सी. को शुल्क के मद में रु0 14.00 लाख भुगतान किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में नियोजन की कार्यवाही शीघ्र पूर्णकराकर गोमती नगर तथा सुलतानपुर रोड की ओर से एक-एक सेक्टर में पंजीकरण खोल दिया जाये। यह भी निर्देश दिने गये कि परियोजना के ले-आउट का प्रस्तुतीकरण भी शीघ्र सुनिश्चित कराया जाये।</p>	<p>सर्वे प्लान मुख्य नगर नियोजक को उपलब्ध करा दिया गया था जो कुछ संशोधनों हेतु वापस प्राप्त हो गया है। इंगित की गई कमियों को दूर कराया जा रहा है।</p>
अनुपूरक 19	श्री गंगाराम पाण्डे को कानपुर रोड योजना में आवण्टित भूखण्ड संख्या : ई-2/38 सेक्टर एच के स्थान पर जानकीपुरम विस्तार योजना में भूखण्ड के समायोजन के सम्बन्ध	<p>समयाभाव के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया।</p>	<p>पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।</p>

विषय संख्या : 3

पृष्ठ संख्या : 24

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष 2001-2002

का वास्तविक तथा मूल बजट - 2002-2003

लखनऊ विकास प्राधिकरण का
बजट - 2002-2003 का
मूल

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष 2001-2002

का वास्तविक तथा मूल बजट - 2002-2003

अलग से अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है।

विषय संख्या : 4

पृष्ठ संख्या : 25

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की

बैलेन्स-शीट वर्ष 2001-2002

लखनऊ विकास प्राधिकरण की

बैलेन्स-शीट वर्ष 2001-2002

लखनऊ विकास प्राधिकरण की
बैलेन्स-शीट वर्ष 2001-2002
अलग से अवलोकनार्थ संलग्न
की जा रही है।


विषय:- प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 1.3.2001 के विषय संख्या 6 पर निर्देशित स्वैच्छिक शमन योजना 1998 के आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों एवं पुनः विधिवत अध्ययन कर तथ्यात्मक टिप्पणी सहित प्रस्तुत किये गये प्रकरणों एवं अवशेष आंशिक व पूर्ण भू उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव:-

स्वैच्छिक शमन योजना 1998 के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों/नियत भू-उपयोग के विपरीत किए गये उपयोगों को भू-उपयोग परिवर्तन के अन्तर्गत वैध करने हेतु जारी शासनादेशों के क्रम में शासन द्वारा गठित शमन उप समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त की गयी स्वीकृति की संस्तुति के क्रम में स्वीकृत योग्य पाये गये प्रकरणों का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 1.3.2001 के विषय संख्या-6 पर (कार्यवृत्त संलग्न) विचारार्थ रखा गया था। जिस पर विषय संख्या 6-1 (ख) पर "ऐसे मामलों में जिनमें कुछ भाग का भू-उपयोग परिवर्तित कर शमनित किए जाने की प्रार्थना की गयी है उन पर चर्चा के दौरान उठाये गये विन्दुओं पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए" एवं विषय संख्या 6-2 पर "निम्न प्रकरणों में पुनः विधिवत अध्ययन कर तथ्यात्मक टिप्पणी अलग से प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये हैं।" उक्त हेतु कुल 8 प्रकरणों हेतु निर्देश दिये गये।

तदोपरान्त शासन द्वारा शासनादेश संख्या 2583/9-आ-3-2001-22काम्प/2001 (आ.व.) दिनांक 13 जून, 2001 एवं शासनादेश संख्या 466/9-आ-1-2001 (आ.व.) दिनांक 15 सितम्बर, 2001 (संलग्नक) जारी किये गये। प्राधिकरण द्वारा 13 जून, 2001 के शासनादेश के अनुपालन में प्रत्येक भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरण के भवन की पंक्ति के समस्त भवनों (उस सड़क पर फेस कर समस्त भवनों) के विल्डिंग प्लान के एक कोने से दूसरे कोने तक के अध्यासियों को व्यक्तिगत नोटिस दी गयी एवं उन्हें एक सप्ताह का समय आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु दिया गया। शासनादेश दिनांक 15 सितम्बर, 2001 के अनुपालन में भू-उपयोग परिवर्तन क्षेत्रफल की गणना 1.00 मीटर अतिरिक्त भूमि को शामिल करके की गयी है। तदनुसार वांछित भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क की गणना की गयी है।


भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव में शमन समिति द्वारा स्वीकृति हेतु की गयी संस्तुति वाले कुल 242 प्रकरण हैं जिनमें ले-आउट प्लान के अन्तर्गत आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के 228 प्रकरण, पूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण योजना एवं महायोजना के 14 प्रकरण शामिल हैं। महायोजना के पूर्ण व आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के 9 प्रकरण भी इसमें सम्मिलित हैं। 9 प्रकरणों पर अन्य अध्यासियों द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गयी है। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्देशित पुनः विधिवत अध्ययन कर तथ्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत किये जाने वाले 8 प्रकरणों में से स्वीकृत योग्य पाये गये 6 प्रकरण भी (जिसमें से एक में आपत्ति प्राप्त हुई) अध्ययन/परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में रखे गये हैं। इन समस्त



लगभग 90 प्रतिशत प्रकरणों में अशमनीय निर्माण स्थित है। जिनमें किसी दुकान/कमरे का कुछ भाग तथा किसी में ज्यादा भाग अशमनीय हैं। उन अशमनीय निर्माण को तोड़ने हेतु शपथ-पत्र स्वैच्छिक शमन योजना 1998 में प्राविधानित नियमों के अनुसार पक्षों द्वारा दिया गया है। प्रस्ताव में स्वीकृति योग्य पाये गये प्रकरणों पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लगभग रू0 41.55 लाख आगणित है तथा शमन एवं अन्य शुल्कों के मद में लगभग 90 लाख रुपये की प्राधिकरण को आय होगी।

उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में मैरिज हाल/गेस्ट हाउस अनाधिकृत रूप से संचालित किये जा रहे हैं जिनमें स्वैच्छिक शमन योजना 1998 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण विचाराधीन हैं। उनमें से कुछ प्रकरणों पर शमन उप समिति ने स्वीकृति हेतु संस्तुति की है। यद्यपि कि सामान्य जनता से समाचार पत्र की विज्ञप्ति के क्रम में कोई आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है लेकिन समय-समय पर इन मैरिज हालों/गेस्ट हाउसों के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध प्राप्त होते रहे हैं कि इससे उनके आवासीय वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं एवं इन्हें रोकना जाए। उदाहरण स्वरूप निराला नगर के निवासियों के द्वारा शासन स्तर पर भी आपत्ति दर्ज कराई गयी है। साथ ही साथ मैरिज हाल/गेस्ट हाउस के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित मानीटरिंग कमेटी में भी विचाराधीन है, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा कतिपय मैरिज हालों/गेस्ट हाउसों के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर पर निषेधात्मक कार्यवाई भी विचाराधीन रही है। पिछली प्राधिकरण बैठक में भी मैरिज हाल/गेस्ट हाउस के प्रकरण रखे गये थे जिन पर कोई निर्णय नहीं प्राप्त हुआ था। अतः प्राधिकरण की योजनाओं के आवासीय भवनों में संचालित हो रहे मैरिज हाल/गेस्ट हाउस के प्रकरणों, को पुनः विचारार्थ/निर्णयार्थ रखा जा रहा है। प्रस्ताव में शामिल स्वीकृति योग्य पाये गये मैरिज हाल/गेस्ट हाउस के कुल 3 प्रकरणों में से 2 प्रकरणों पर अन्य अध्यासियों द्वारा आपत्ति भी दर्ज कराई गयी है।

अतः समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति एवं नवीन शासनादेशों के अनुपालन में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रकरणों पर शासन द्वारा गठित शमन उप समिति द्वारा लिये गये निर्णय/संस्तुति पर नीति विषयक सम्बन्धी आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के 228 प्रकरणों, पूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन के प्राधिकरण योजना एवं महायोजना के 14 प्रकरणों सहित शमन समिति द्वारा स्वीकृति हेतु की गयी संस्तुति वाले कुल 242 प्रकरणों का प्रस्ताव रखा गया है। जिसमें महायोजना के पूर्ण एवं आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के 9 प्रकरण (बोर्ड द्वारा संस्तुति की दशा में शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाएगा), पिछली बोर्ड बैठक द्वारा निर्देशित विधिवत अध्ययन कर प्रस्तुत किये जाने वाले 8 प्रकरणों में से स्वीकृत योग्य पाये गये 6 प्रकरण भी (जिसमें से एक में आपत्ति प्राप्त हुई) अन्य अध्यासियों द्वारा आपत्ति दर्ज किये जाने वाले कुल 9 प्रकरणों, मैरिज हालों के उपयोग वाले कुल 3 प्रकरण (2 में आपत्ति दर्ज करायी गयी है) सम्मिलित हैं। उपरोक्त समस्त प्रकरण 242 प्रकरणों में सम्मिलित हैं, उपरोक्त कुल 242 प्रकरणों का प्रस्ताव विचारार्थ, निर्णयार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है। (प्रस्ताव सहित बुकलेट अलग से प्रस्तुत है)



विषय : आवासीय भूखण्डों का भू-उपयोग व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने विषयक।

प्रस्ताव :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमती नगर योजना के विवेक खण्ड स्थित भूखण्ड संख्या: वी-2/848,, वी-2/849 के आवंटियों द्वारा प्रत्यावेदन दिये गये है। आवंटियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि उनको आवंटित भूखण्डों के आस-पास स्थित अधिकतर भवनों का व्यवसायिक रूप से प्रयोग किया जा रहा है, ये भूखण्ड 24.0 मी० मुख्य मार्ग पर स्थित है और व्यवसायिक प्रयोग होने के कारण काफी शोर व प्रदूषण रहता है जिससे इन भूखण्डों पर आवासीय भवन निर्मित कर रहना सम्भव नहीं है। इन भूखण्डों के सामने स्थित भवनों के कुछ आवंटियों द्वारा स्वैच्छिक शमन योजना, 98 के अन्तर्गत व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है जो प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है और कतिपय भवनों का अनाधिकृत रूप से व्यवसायिक प्रयोग किया जा रहा है। भूखण्ड सं०: वी-2/848, वी-2/849, विवेक खण्ड

के आवंटियों द्वारा प्राधिकरण में प्रत्यावेदन दिये गये है कि उनके भूखण्डों का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तन हेतु जो भी शुल्क देय होगा वे उसे जमा करने को तैयार हैं और प्राधिकरण की समस्त शर्तों/नियम उन्हें मान्य है।

यदि उक्त भवनों का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक करने पर विचार किया जाता है तो उनका भू-उपयोग परिवर्तन महायोजना में निर्धारित बाजार स्ट्रीट के प्राविधानों के अनुसार होगा। स्वैच्छिक शमन योजना, 98 के अन्तर्गत आवासीय से व्यवसायिक भू-उपयोग करते हुए निर्धारित माप दण्डों के अनुसार इन भूखण्डों का भी भू-उपयोग व्यवसायिक करने पर विचार किया जा सकता है।

भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-


क्रम सं०	योजना का नाम	भूखण्ड सं०	भूखण्ड की स्थिति	क्षेत्रफल व०मी०	वर्तमान भू-उप०	अनुमन्य भू-आ०	अनुमन्य एफए०आर	भू-उप० परिवर्तन हेतु वांछित शुल्क ल०	परिवर्तित भू-उपयोग
1-	गो०न०यो०	वी-2/848	आवासीय	288	आवासीय	40%	1.20	7,22,000	व्यवसा०
2-	गो०न०यो०	वी-2/849	आवासीय	324	आवासीय	40%	1.20	8,10,000	व्यवसा०

सचिव, आवास उ०प्र० शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 2438/9-आ-3-98-60 एल०यू०सी० दि० : 13-10-1998 के अनुसार "यदि महायोजना अथवा जोनल योजना में विना कोई संशोधन किये हुए विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् की योजना के तलपट मानचित्रों में संशोधन कर भवन/भूखण्ड के भू-प्रयोग परिवर्तन हेतु कार्यवाही की जाती हो तो तद्विषयक कार्यवाही प्राधिकरण व उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के धारा-93 में निहित प्रक्रिया के समान ही की जाए।"

अर्थात् ऐसे मामलों में अपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु कम से कम 2 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए तथा आपत्ति कर्ताओं को सुनवाई को सुनवाई का अवसर देते हुए प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त अन्तिम विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन/भू-उपयोग परिवर्तन के लिए भू-स्वामियों से भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किया जाए । अन्तिम विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के पूर्व विकास प्राधिकरण व उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाए । उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26-12-1996 उक्त सीमा तक संशोधन किया जाता है ।”


उपरोक्त शासनादेश के क्रम में भू० संख्या बी-2/848, बी-2/849 विवेक खण्ड गोमती नगर का भू-उपयोग आवासीय से व्यवसायिक करने हेतु प्राधिकरण बोर्ड में औपचारिक व सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है । प्राधिकरण की सैद्धान्तिक व औपचारिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरोक्त शासनादेश के अनुसार उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 निहित प्रक्रिया का पालन करके पुनः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।




विषय : मिर्जा महमूद हुसैन 292/86 तुलसीदास मार्ग पर स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत आंशिक भूमि को आवासीय भू-प्रयोग से व्यवसायिक भू-प्रयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव : पक्ष श्री मिर्जा महमूद हुसैन का भवन सं० 292/86, तुलसीदास मार्ग पर स्थित है। महायोजना 2001 के प्राविधानों के अनुसार उक्त स्थल का कुछ भाग तुलसीदास मार्ग के मध्य से 40 मी० गहराई तक बाजार स्ट्रीट (व्यवसायिक) भू उपयोग और शेष भाग बाजार स्ट्रीट के उपरांत (9.10 मी० गहराई तक) आवासीय भू उपयोग के अन्तर्गत पड़ता है। महायोजना 2001 के उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत पक्ष के भवन मानचित्र व्यवसायिक कम आवासीय प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृत किये गये थे। तदोपरान्त पक्ष द्वारा सम्पूर्ण भूखण्ड क्षेत्रफल (बाजार स्ट्रीट+ आवासीय) पर व्यवसायिक भवन का निर्माण करा लिया गया। इस प्रकार बाजार स्ट्रीट की सीमा के बाद बचे आवासीय भूभाग को व्यवसायिक भू प्रयोग में परिवर्तित किये जाने एवं मौके पर निर्मित निर्माण को नियमानुसार शमनीय सीमा के अन्तर्गत शमन करने हेतु स्वैच्छिक शमन योजना के अन्तर्गत शमन मानचित्र पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।



प्रश्नगत प्रकरण को, पक्ष द्वारा भू प्रयोग परिवर्तन हेतु आवेदन न किये जाने के कारण उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 30.11.2000 को



निरस्त कर दिया गया था।

तदोपरान्त निरस्त प्रकरणों पर पुनःविचार हेतु शासन द्वारा पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया जिसके क्रम में पक्ष द्वारा भू उपयोग परिवर्तन हेतु शुल्क जमा करने के पश्चात् प्रकरण पर पुनः विचार हेतु नियमानुसार पुनरीक्षण शुल्क के साथ गठित पुनरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवेदन किया गया। पुनरीक्षण समिति द्वारा विचारोपरान्त मास्टर प्लान 2001 के प्राविधान के क्रम में सड़क के मध्य से 40 मीटर तक बाजार स्ट्रीट उपयोग की गहराई के बाद शेष आवासीय भूभाग को आवासीय से व्यवसायिक में परिवर्तित किये जाने हेतु सशर्त संस्तुति की गयी। समिति के निर्णय की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में आवासीय भूमि क्षेत्रफल 136.14 वर्ग मी० को व्यवसायिक भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विकास प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।



संलग्न-1

2. श्री मिर्जा महमद हुसैन
292/86 तुलसी दास मार्ग
मदनपुरा, बंगलौर

32

- 11। प्रसंगत श्रम मानचित्र 2ब0 श्रम योजनान्तर्गत बांठित फीत चमा कराकर प्रस्तुत किया गया ।
- 12। प्रसंगत प्रकरण को शासन द्वारा गठित भू-प्रयोग परिबर्तन से सम्बन्धित समिति की बैठक में विचारार्थ रखा गया था परन्तु वहा द्वारा भू-प्रयोग प्रिबर्तन हेतु आबेदन न किये जाने के कारण आबेदन निरस्त कर दिया गया ।

13। भू-प्रयोग

बाजार स्ट्रीट/आवातीय है जितमें 17.50 मी० की गहराई तक बाजार स्ट्रीट तथा तदोपरान्त 9.07 मी की गहराई तक आवातीय भू-प्रयोग हैं ।

- 14। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत श्रम मानचित्र में श्रमनीय तीमा तक बाजार स्ट्रीट एवं आवातीय उपयोग दोनों में भू-आच्छादन क्रमशः 60.00% तथा 75% संयुक्त भू-आच्छादन 65.40% श्रम हेतु अनुरोध किया गया है । तथा अश्रमनीय भू-आच्छादन 34.59% [130.799मी] जिते निबमानुसार तोड़ने हेतु वहा द्वारा श्रमय पत्र दिया गया है साथ ही मानचित्र में तोड़ने हेतु पीले रंग से दर्शाया गया है ।

- 15। अनुमन्व एक0ए0आर0 बाजार स्ट्रीट में 120 तथा आवातीय भू-प्रयोग में तीन मंखित 65x3=195 अनुमन्व है। श्रम योग्य एक0ए0आर0 बाजार स्ट्रीट में 60 तथा आवातीय में 30 एक0ए0 आर0 अतः बाजार स्ट्रीट में 180 तथा आवातीय उपयोग में 225 आता है। अश्रमनीय एक0ए0आर0 का विवरण तलबार निम्नवत है।

भूतल पर-130.799

प्रथम तल 112.545

द्वितीय तल-99.625

342.969

उपरोक्त के क्रम में समिति द्वारा निम्न श्रमल गुल्को के साथ श्रम मानचित्र स्वीकृत



7/6/07

प्रस्तुति की जाती है:-

111 पार्किंग शुभल शुल्क रु०-1,02,567.46

121 मू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क
मू-परिवर्तन क्षेत्र- 191.457मी

$191.457 \times 69.30 \times 10.764 = 1,42,816.42$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या:-

विषय:- एकल आवासीय/गुप हाउसिंग के फ्रीहोल्ड करने के संबंध में पूर्व नीति पर पुनर्विचार के संबंध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में फ्रीहोल्ड की कार्यवाही के संबंध में विभिन्न समय में निम्नवत धनराशि लिये जाने का प्राविधान रहा है:-

इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट योजनाओं के भूखण्डों के फ्रीहोल्ड हेतु दि013.5.95 की बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि नजूल के अनुरूप जैसा निर्णय शासन द्वारा लिया जाय, उसी के अनुरूप कार्यवाही की जाय। नजूल भूमि के संबंध में शासनादेश संख्या-2093/9आ-4-94-293एन/90 दि03.10.94 में वर्ष 1991 के सर्किल रेट का 50 प्रतिशत एकल आवासीय हेतु 75 प्रतिशत गुप हाउसिंग हेतु व 50 प्रतिशत व्यवसायिक प्रयोजन हेतु फ्रीहोल्ड धनराशि आगणित किये जाने का प्राविधान किया गया था, इस आदेश के अनुसार ही बोर्ड निर्णय दि013.5.95 के अनुसार ट्रस्ट भूखण्डों के फ्रीहोल्ड में धनराशि जमा करायी जाती रही।

दि01.12.98 से नजूल भूखण्डों हेतु नये शासनादेश में एकल आवासीय व गुप हाउसिंग हेतु 40 प्रतिशत तथा व्यवसायिक हेतु 60 प्रतिशत वर्ष 1991 की दर से लिये जाने का निर्देश दिया गया चूंकि नजूल के संबंध में शासनादेश में दरें शिथिल की गई थी इसलिए ट्रस्ट भूखण्डों हेतु बोर्ड बैठक दि08.3.99 में पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। बोर्ड बैठक दि0 8.3.99 में नजूल के शासनादेश को अक्षरशः न लागू करके एकल आवासीय हेतु 40 प्रतिशत गुप हाउसिंग हेतु 60 प्रतिशत तथा व्यवसायिक हेतु 75 प्रतिशत वर्ष 1991 की दर से लिये जाने का निर्णय हुआ।


बोर्ड बैठक दि020.1.2000 में इम्पूवमेन्ट ट्रस्ट के विना प्रीमियम वाले पट्टों की फ्रीहोल्डदरों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निर्णय हुआ कि 31.1.2000 तक जो प्रार्थना पत्र निस्तारित हो जायेंगे उनमें 30.11.91 की दर से धनराशि ली जायेगी उसके बाद अर्थात् 31.1.2000 के बाद प्राप्त होने वाले फ्रीहोल्ड आवेदन पत्रों में वर्ष 1995 के सर्किल रेट के आधार पर गणना करके धनराशि जमा करायी जायेगी।

प्रस्तुत प्रकरण में विवाद का विषय पट्टाधारक डा0ओ0पी0कोशल जिनका वर्ष 1999 में एकल आवासीय हेतु तत्समय प्रचलित दर पर अपने भूखण्ड का फ्रीहोल्ड करा लिया गया था, परन्तु दि08.3.2001 को डा0ओ0पी0कोशल ने इस भूखण्ड को श्री बिहारी लाल एवं अन्य के पक्ष में विक्रय कर दिया परन्तु श्री बिहारी लाल एवं अन्य का यह तर्क है कि प्रश्नगत भूखण्ड पूर्व में ही फ्रीहोल्ड किया जा चुका है ऐसी परिस्थिति में पुनः किसी भी प्रकार की गणना कर फ्रीहोल्ड किया जाना उचित नहीं है।

श्री बिहारी लाल अग्रवाल व अन्य ने दि01.9.2001 को ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन हेतु आवेदन किया है। प्रश्नगत प्रकरण पर विधिक परीक्षण/परामर्श हेतु मुख्य विधि परामर्शी के माध्यम से श्री अनूप अस्थाना रिटेनर को संदर्भित किया गया रिटेनर द्वारा विधिक राय दि03.1.2001 में यह मत व्यक्त किया गया कि दि031.1.20000 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर बोर्ड निर्णय दि020.1.2000 के अनुसार वर्ष 1995 की दरों से ग्रुप हाउसिंग हेतु धनराशि का आगणन किया जाना चाहिए एवं पूर्व में मूल पट्टेदार द्वारा जमा समस्त धनराशि का समायोजन कर लिया जाय। वर्ष 1995 की दरों के अनुसार ग्रुप हाउसिंग हेतु 60 प्रतिशत धनराशि का आगणन किया गया जिसके अनुसार रू0-44,67,127.50 पैसा धनराशि देय हुई थी। प्रश्नगत भूमि के पूर्व पट्टेदार ने फ्रीहोल्ड के समय रू0-2,41,623.42 पैसे जमा किया था यह धनराशि समायोजित करने पर रू0-42,25,505.08 पैसा और देय होती है।

श्री बिहारी लाल अग्रवाल एवं अन्य द्वारा वर्तमान में भूखण्ड संख्या-542ए/डब्ल्यू-2 पर ग्रुप हाउसिंग बनाने हेतु नक्शा स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था जिस पर यह निर्णय लिया गया है कि इनके ऊपर आरोपित किया जा रहे वर्तमान दर से लिया जाने वाला शुल्क तब तक न लिया जाय जब तक बोर्ड का अन्तिम निर्णय प्राप्त न हो जाय। इस प्रकरण पर माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुनः विचार हेतु निर्देशित किया गया है और बोर्ड के समक्ष विचार कर निर्णय हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।



(डी0एस0राटोर)
उप सचिव

विषय संख्या : ०९

पृष्ठ : 36


विषय:- भूखण्ड संख्या बी-973/सी सेक्टर ए महानगर गृह योजना के जोनल प्लान में भू उपयोग पार्क दर्ज हो जाने के आवासीय में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में आख्या:-

संक्षिप्त विवरण:-

श्रीमती जमुना समतानी को महानगर गृह योजना में भू0सं0सी-871 वर्ष 1965 में आवंटित किया गया था। भूखण्ड का क्षेत्रफल 3315 वर्गफुट था जिसकी तत्कालीन दर रू0-1.50 प्रति वर्गफुट से देय धनराशि रू0-4,972=50 पैसे श्रीमती जमुना समतानी द्वारा जमा कर दी गयी थी परन्तु आवंटित भूखण्ड पर एक विस्थापित का कब्जा होने तथा उसके द्वारा मा0 न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त कर लिये जाने के कारण श्रीमती जमुना समतानी को भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका। कालान्तर में श्रीमती जमुना समतानी को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इसी योजना में रिक्त भूखण्ड सं0बी-973 सी सेक्टर ए वर्ष 1985 में परिवर्तित किया गया। वैकल्पिक भूखण्ड का क्षेत्रफल 6174 वर्गफुट होने के कारण पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल 3315 वर्गफुट घटाने के बाद अतिरिक्त क्षेत्रफल 2859 वर्गफुट हेतु परिवर्तन के समय देय दर से रू0-79,683/=की मांग की गयी थी।


नियोजन विभाग से वैकल्पिक भूखण्ड का भू उपयोग ज्ञात करने पर बताया गया कि जोनल प्लान में भूखण्ड का उपयोग पार्क के रूप में अंकित हो गया है, जबकि मूल ले आउट में इस स्थल पर दो आवासीय भूखण्ड तथा शेष भाग टैंक के रूप में अंकित था। वर्तमान समय में टैंक के रूप में अंकित भूमि पर जल निगम के बहुमंजिला आवासीय फ्लैट बने हुए हैं तथा एक आवासीय भूखण्ड पर आवंटी का भवन बन चुका है केवल एक ही आवासीय भूखण्ड सं0बी-973 सी रिक्त है, जो श्रीमती जमुना समतानी को वैकल्पिक व्यवस्था में आवंटित है। चूंकि केवल एक आवासीय भूखण्ड पर पार्क बनाया जाना उपयुक्त न होने के कारण जोनल प्लान का भू उपयोग आवासीय में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव बोर्ड की बैठक दि027.10.88 के विषय सं0-15 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें निर्णय हुआ था कि पूरे क्षेत्र के जोनल प्लान को संशोधित करने का प्रस्ताव लाया जाय। पूरे क्षेत्र के जोनल प्लान में परीक्षणोपरान्त अन्य कोई संशोधन योग्य प्रकरण नहीं पाया गया है। अतः श्रीमती जमुना समतानी से संबंधित भूखण्ड का भू प्रयोग आवासीय परिवर्तन किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना है। श्रीमती जमुना समतानी द्वारा अपने प्रकरण में शीघ्र रजिस्ट्री एवं कब्जे हेतु अनुरोध किया जा रहा है। चूंकि स्थल पर केवल एक ही भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है जिसे पार्क में परिवर्तन किया जाना उपयुक्त न होगा। इस प्रकरण में श्रीमती जमुना समतानी के प्रतिनिधि मेजर जी0आई0पुनवानी ने मा0लोक आयुक्त कार्यालय में परिवाद सं04289/2001 दि022.10.2001 दर्ज कराया है उक्त परिवाद में मा0लोक आयुक्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया है कि ल0वि0प्रा0के बोर्ड निर्णय के बाद ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकेगी। अतः प्राधिकरण बोर्ड कृपया भू0सं0बी-973सी सेक्टर ए महानगर गृह योजना के मूल ले

आउट के अनुसार आवासीय में ही रखे जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।



उप सचिव

सी0टी0पी0




विषय : शासनादेश संख्या : 4784/9-आ-1-29-विविध/98
(अ.ब.), दिनांक 15 सितम्बर, 2001 " विकास प्राधिकरण
भवन निर्माण उपविधि, 2000 में आवश्यक संशोधनों"
को अंगीकृत किये जाने से सम्बन्धित।

शासनादेश संख्या : 4784/9-आ-1-29-विविध/98
(अ.ब.), दिनांक 15 सितम्बर, 2001 द्वारा " विकास
प्राधिकरण भवन निर्माण उपविधि, 2000 में आवश्यक
संशोधन " किये गये है। शासनादेश के अन्तर्गत इन
संशोधनों को प्राधिकरण बोर्ड से अंगीकृत किये जाने
के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में
प्राप्त हुए संशोधनों को अंगीकृत किये जाने हेतु
प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन
से सम्बन्धित दो अन्य शासनादेश संख्या :
4930/9-आ-1-29/विविध/98, दिनांक 25 सितम्बर,
2001 एवं 928/9-आ-1-29 विविध/98 [टी.सी.], दिनांक
1 मार्च, 2002 भी प्राप्त हुए है, जो अवलोकनार्थ
संलग्न है।



प्रेषक,

श्री संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव, आवास एवं
अधिसापी निदेशक, आवास वन्दु,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1
दिनांक 12/9/01

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 15 सितम्बर, 2001

विषय: विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक संशोधन।

श्रीमती वन्दु

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विदिन/98 दिनांक 8.6.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में संशोधन का प्रस्ताव स्थानीय परिष्कारों सहित बोर्ड बैठक में अंगीकृत किए जाने हेतु प्रेषित किया गया था। विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक दिनांक 20.7.2001 में कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा यह विन्दु उठाया गया था कि भवन उपविधि के प्रस्तर-2.4.2 में जनसंख्या के आंकलन हेतु निर्धारित आवासीय एककों के मानक के आधार पर ले-आउट प्लान के अन्तर्गत पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्रतिशत अत्यधिक बढ़ जाएगा जिससे योजनाओं की बायविलिटी प्रभावित होगी। उक्त के कम में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न विन्दु शासन के पुनर्विचार हेतु संदर्भित किए गए हैं:-

श्रीमती वन्दु
18/9/01
(कुंज कुमार)
विकास प्राधिकरण

(i) आवासीय ले-आउट प्लान में वर्तमान मानक के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर 0.3 हेक्टेयर पार्क एवं खुला क्षेत्र छोड़े जाने का प्रावधान है जिसके आधार पर कुल भूमि का लगभग 20 से 22 प्रतिशत पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु छोड़ना होगा जबकि लगभग 20 से 30 प्रतिशत क्षेत्रफल सड़कों के अन्तर्गत होगा। फलस्वरूप विकस्य योग्य क्षेत्रफल मात्र 50 प्रतिशत उपलब्ध होगा जिससे योजनाओं की आर्थिक जीव्यता (Economic Viability) प्रभावित होगी। अतः पार्क एवं खुले क्षेत्रों का मानक वितेकसंगत बनाए जाने की आवश्यकता है।

(ii) वर्षा जल के संरक्षण के लिए निर्धारित मानक के अनुसार पार्क एवं ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत एक कोने में "रिचार्ज वेल"/रिचार्ज टैंक बनाए जाने का प्रावधान है। आगरा विकास प्राधिकरण का सुझाव है कि इस सम्बन्ध में "रिचार्ज वेल" को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग किसी भी दुर्घटना के उद्देरय से किया जा सकता है तथा किसी भी विधिते पदार्थ को भूमिगत जल में प्रवाहित किया जा सकता है। इसका शुद्धीकरण/शोधन भी सम्भव नहीं है।


12/9/01

2. उपरोक्त सुझावों पर दिनांक 02.8.2001 को आगरा, गाजियाबाद तथा इलाहाबाद विकास प्राधिकरणों के मुख्य नगर नियोजकों के साथ आवास बन्धु में विचार-विमर्श हुआ जिसके क्रम में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न संशोधनों सहित अनुमोदित किया गया है:-

- (i) पार्क एवं खुले क्षेत्र हेतु "नेशनल बिल्डिंग कोड" में चूँकि कुल ले-आउट का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल अथवा प्रति 1000 जनसंख्या पर 0.3 से 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल आरक्षित किए जाने का प्रावधान है, अतः योजनाओं की दायदिलिटी के दृष्टिगत भवन उपविधि के प्रस्तर-2.2.1 में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 0.3 हेक्टेयर के वर्तमान मानक के स्थान पर कुल ले-आउट का 15 प्रतिशत क्षेत्रफल रखा जाए,
- (ii) रेन वाटर हार्वैस्टिंग से सम्बन्धित प्रस्तर-2.1.2.5(ix) में "रिचार्ज-वैल" शब्द को डिलीट कर केवल रिचार्ज टैंक रखा जाए,

3. कृपया उपरोक्त संशोधनों को समायोजित करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा अंगीकरण के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।


भवदीय,


(संजय मूसारेड्डी)
विशेष सचिव एवं
अधिशापी निदेशक

संख्या 478(4)/9-आ-1-29-विधिवि/99(आ.न.) तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ, लखनऊ।
5. अपर निदेशक, नियोजन, उ. प्र. आवास बन्धु।


(संजय मूसारेड्डी)
विशेष सचिव एवं
अधिशापी निदेशक

प्रेषक,

श्री टी. पी. पाठक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपअध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

आवास अनुभाग-1

तखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2001

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 276/नियो. अनु./2001 दिनांक 9.8.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके साथ भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में संशोधन का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.6.2001 में कतिपय परिष्कारों सहित अंगीकरण के उपरान्त शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विधि/98 दिनांक 8 जून, 2001 द्वारा जारी संशोधनों को गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत सुझावों के दृष्टिगत निम्न परिष्कारों सहित अनुमोदित किया जाता है:-

- (i) विन्दु संख्या-3 : रेन वाटर हार्नेरिंग के अन्तर्गत जलशाय की गहराई विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों के आधार पर 6 मीटर रखी गई है जिसे कम किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। शासन द्वारा रेन वाटर हार्नेरिंग पर एक "स्टैन्डिंग ग्रुप" का गठन किया गया है जिसमें सेन्ट्रल प्राउण्ड वाटर बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य हैं। जलशाय की निर्धारित गहराई के सम्बन्ध में स्टैन्डिंग ग्रुप की राय प्राप्त की जाएगी और उसके अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
- (ii) विन्दु संख्या-11 : टंकण सम्बन्धी त्रुटि के कारण शासनादेश में प्रस्ताव-3.1.2.2(II) का उल्लेख है जिसे प्रस्ताव-3.1.2.2 (III) से प्रतिस्थापित किया जाए। परन्तु प्रस्ताव-3.1.2.2(IX) सही है, अतः इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
- (iii) विन्दु संख्या-12 : प्रस्ताव-3.1.2.3(II) में टंकण सम्बन्धी त्रुटि है, अतः शब्द सर्विस इंजीनियर को शब्द स्ट्रक्चरल इंजीनियर से प्रतिस्थापित किया जाए। जहाँ तक नेशनल विडिंग कोड के अनुसार स्ट्रक्चरल इंजीनियर को परिभाषित किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-भूकम्परोधी/2001 (आ.व.) दिनांक 20.7.2001 द्वारा निर्माण कार्य एवं भूकम्प जोन के आधार पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स की अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, जो समस्त विकास प्राधिकरणों को जारी की गई हैं। अतः उक्त शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जाए।
- (iv) विन्दु संख्या-22 : भवन उपविधि में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार एकल आवारा में चैंकि अग रिटर्न फ्लोर का निर्माण अनुमत्त कर दिया गया है, अतः भवन उपविधि के प्रस्ताव-3.3.6 (VI) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-

"चार मंजिल (अधिकतम 15 मीटर ऊँचाई) के ग्रुप हाउसिंग भवनों हेतु 1.5 एफ.ए.आर. के साथ 40 प्रतिशत भू-आच्छादन अनुमन्य होगा परन्तु ऐसी स्थिति में 10 प्रतिशत अतिरिक्त भू-आच्छादन (अधिकतम 400 वर्ग मीटर तल क्षेत्रफल) अनुमन्य नहीं होगा। पार्किंग हेतु भूतल का निर्माण रिटल्ट के रूप में किया जा सकता है जिसकी अधिकतम ऊँचाई 2.6 मीटर होगी जिसकी गणना एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी, परन्तु भवन की ऊँचाई में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी"।

(v) बिन्दु संख्या-34 : विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन शासन द्वारा जारी प्रस्ताव में यद्यपि पहले से ही निहित है, तथापि इसे अधिक स्पष्ट किए जाने हेतु विद्यमान प्रस्तर-3.11.3 (II) (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:-

"(क) चार मंजिल से अधिक या 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के बहुमंजिले भवन"।

3. कृपया उपर्युक्त संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में समायोजित करने का कष्ट करें। प्रस्तावित संशोधनों की जानकारी जनता को देने हेतु एक सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में जारी करा दी जाए तथा विकास एवं निर्माण विनियमन की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से संशोधित भवन उपविधि के अनुसार सुनिश्चित की जाए। कृपया कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(टी. पी. पाठक)
विशेष सचिव

संख्या 4930/9-आ-1-29विधि/98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. विकास प्राधिकरणों के समस्त उपहयक्षों को इस आशय से कि बिन्दु संख्या 11,12, 22, तथा 34 पर उल्लिखित संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में समायोजित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि., लखनऊ।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन।
7. अध्यक्ष, यू.पी. चैप्टर, इन्स्टीट्यूट आफ आर्कीटेक्ट।
8. अध्यक्ष, यू. पी. रेडको, लखनऊ।
9. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

(टी. पी. पाठक)
विशेष सचिव

26051-11

2258/9K
 2-3-02
 211 जमाना

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
 प्रमुख सचिव,
 उत्तर प्रदेश शासन।
 सेवा में,
 उपाध्यक्ष,
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
 गाजियाबाद।

आवास अनुभाग-1

तारखतक : दिनांक 01 मार्च फरवरी, 2002

विषय : विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में आवश्यक परिष्कार।

महोदय,
 उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 642/म.अनु./2001 दिनांक 23.11.2001 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन के संज्ञान में यह दृश्य लाया गया कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में शासनादेश संख्या 3002/9-आ-1-29 विविध/99 दिनांक 8 जून, 2001 के अधीन जारी संशोधनों को लागू करते समय कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों सामने आई हैं जिनका निराकरण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सन्निहित विन्दुओं एवं दिए गए सुझावों पर शासन द्वारा पुनर्विचार किया गया जिसके आधार पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में निम्न परिष्कार किया जाना युक्तिसंगत पाया गया है :

- (i) पार्किंग मानकों के अनुसार एकल आवास में 100 वर्ग मीटर के भूखण्ड हेतु चूंकि पार्किंग की आवश्यकता नहीं है अतः 100 वर्ग मीटर तक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर रिटल्ट फ्लोर का निर्माण अनुमत्त नहीं होगा। रिटल्ट फ्लोर का निर्माण 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर ही अनुमत्त होगा जिसकी गणना एक.ए. आर. में नहीं की जाएगी।
- (ii) एकल आवास के अन्तर्गत ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर या अधिक है और जो 24 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित हैं, में भवन उपविधि के अनुसार यदि भू-आव्ययन के बराबर एक अतिरिक्त तल का निर्माण अनुमत्त किया जाता है, तो प्रकाश एवं संवातन की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण दोनों साइड में तीन-तीन मीटर सैट-बैक का प्रावधान करना होगा।
- (iii) 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित 300 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल के आवेक्षीय भूखण्ड, जिनमें भू-आव्ययन के बराबर अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुमत्त किया जाए, में अतिरिक्त तल क्षेत्रफल पर नियमानुसार अतिरिक्त इकाइयों प्रसार सहित अनुमत्त होगी। अतिरिक्त इकाइयों पर प्रसार शुल्क एवं विकास शुल्क

300 काशी
 - 7/2/20
 - 2-3-02
 sleep/camp
 6.3-02
 7
 20/2/9
 श्री ए. के. उता

उपाध्यक्ष
 विज्ञाप प्राधिकरण
 5.11.2002
 श्री ए. के. उता

(मु. रेखा पुस्ता)
 तारीख 5/3/2002

शासनादेश संख्या 3002/9-आ-2-29 विधि/98 दिनांक 8 जून, 2001 में की गई व्यवस्थानुसार देय होगा।

3. कृपया उपरोक्त संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में समायोजित करने का कष्ट करें तथा कृता कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या 2 8 (1)/9-आ-1-29 विधि/98(टी.सी.) तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण।
2. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. विकास प्राधिकरणों के समस्त संपाद्यकों को इस आशय से कि उपर्युक्त संशोधनों को भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2000 में समायोजित करने का कष्ट करें।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश नर्सिकारी आवास संघ लि., लखनऊ।
6. अध्यक्ष, उ.प्र. आर्कीटेक्ट एसोसिएशन, 350, सेक्टर-28, नोएडा।
7. अध्यक्ष, यू.पी. चैंबर, इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्ट।
8. अध्यक्ष, यू. पी. रेडको, लखनऊ।
9. अपर निदेशक, नियोजन, उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,



(टी. पी. पाठक)
विशेष सचिव

विषय संख्या: 11

विषय सं- 45

विषय शासन से प्राप्त संशोधित आदर्श जॉनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किये जाने से सम्बन्धित,


प्रधिकरण की गत बैठक दि० १८.१२.०२ की विन्दु सं० ४ के अर्न्तगत शासनादेश सं० २३९६/९-आ-३-७२-वी/९४ दि० ३०.६.०१ द्वारा प्रस्तुत आदर्श जॉनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव रख गया था, जो संलग्नक-१ पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। सम्यक विचारोपरान्त प्रधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:

"प्रस्ताव पर निर्णय हुआ कि मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक उ०प्र० एक सप्ताह के अन्दर अपने निष्कर्ष उपलब्ध करा दें। प्राप्त निष्कर्ष सहित इस प्रस्ताव को परिचालन द्वारा अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्राप्त कर इसे शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।"

इस मध्य शासनादेश सं० ३७९/९-आ-३-७२-वी/९४ दि० २५.१.०२ द्वारा शासन ने संशोधित आदर्श जॉनिंग रेगुलेशन्स प्रेषित किये हैं, जिसके परीक्षणोपरान्त आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। शासन द्वारा प्रेषित संशोधित आदर्श जॉनिंग रेगुलेशन्स के परीक्षणोपरान्त कतिपय विन्दुओं पर शासन स्तर से मार्गदर्शन अपेक्षित है, अतः कार्यलय के पत्र सं० ८१/सी०टी०पी०/वी०सी०/२००२ दि० २७.४.०२ द्वारा शासन से मार्गदर्शन हेतु अनुरोध किया गया। उपरोक्त पत्र की छाया प्रति संलग्नक-२ पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। पत्र में वर्णित विन्दुओं पर शासनासे अभी मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं।

प्रस्ताव प्रधिकरण के समक्ष सूचनाार्थ प्रस्तुत है।

✓✓



महायोजना के अर्न्तगत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

उ०प्र० शसन आवास अनुभाग-३ के पत्र सं०२३९६/१-आ-३-७२-वि/९४ दि०३०.६.२००१ के द्वारा महायोजना के अर्न्तगत आदर्श जोनिंग रेगुलेशन की प्रति प्रेषित की गई है तथा निर्देश दिये गये हैं कि इसे आवश्यक परिष्कारो सहित ग्रहण कर १५ दिनों के अन्दर शसन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि यदि बोर्ड की बैठक में विलम्ब हो तो इसे परिचालन द्वारा अंगीकृत किये जाने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाय।

शसन द्वारा प्रेषित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन की वर्तमान में लागू महायोजना में निर्दिष्ट विभिन्न भू-उपयोग की तुलना की गई एवं पाया गया कि विभिन्न भू-उपयोग के अर्न्तगत अनुमन्य उपयोगों में कुछ अन्तर है। इस सम्बन्ध में मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजन, नगर एवं ग्राम्य नियोजन उ०प्र० शसन से विचार विमर्श किया गया।

लखनऊ महायोजना के पुनरीक्षण एवं वर्ष २०२१ की महायोजना की संरचना का कार्य प्रगति में है एवं नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग को उचित कार्य दिये जाने का निर्णय प्राधिकरण की बैठक दि०१९.१.२००० में लिया जा चुका है। अतः प्रस्ताव है कि आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में दिये गये प्रस्ताव एवं लखनऊ महायोजना २०२१ की संरचना के समय इनका समावेश संशोधनों सहित कर लिया जाय जिससे कि महायोजना प्रस्तावों एवं जोनिंग रेगुलेशन में एकरूपता रहे। जोनिंग रेगुलेशन चूंकि महायोजना का ही एक भाग है, अतः जोनिंग रेगुलेशन एवं महायोजना के विभिन्न भू-उपयोगों के अर्न्तगत अनुमन्य एवं निर्दिष्ट उपयोगों का विस्तृत विवरण हो तथा उनमें एकरूपता होना अत्यन्त आवश्यक है। उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ में दिये गये निर्देशों के अनुसार जोनिंग रेगुलेशन की स्वीकृति महायोजना की स्वीकृति के अनुरूप ही की जानी आवश्यक है। अतः शसन द्वारा प्रेषित जोनिंग रेगुलेशन को अंगीकृत किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जाय कि वह महायोजना २०२१ की संरचना के समय आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में दिये गये विवरणों को महायोजना का भाग मानते हुए अंतिम कार्यवाही करें एवं तब तक वर्तमान में लागू महायोजना के साथ संलग्न जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

<p>प्रेषक :- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ</p> <p>संख्याD.I./C.T.P/VK/2002..... दिनांक27-4-2002.....</p>	<p>सेवा में प्रमुख निविदा, आवास विभाग, 30प्र0गातन, लखनऊ।</p> <p>नस्ती</p>
---	---

विषय

नगरों की महायोजनाओं के अन्तर्गत तंगोपिटा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन पर अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक गातनादेशसंख्या-379/9-आ-3-72-वि0/94, दिनांक 25.1.2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा गातन द्वारा प्रेषित आदर्श जोनिंग रेगुलेशन को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। गातन द्वारा तंगोपिटा जोनिंग रेगुलेशन में समस्त भू-उपयोग जोन को महायोजना में प्रयोग की गयी गव्हाळी से प्रतिस्थापित करते हुए आवश्यक परिष्कारों सहित तंगोपिटा जोनिंग रेगुलेशन को अंगीकृत करने की अपेक्षा की गयी है। लखनऊ नगर की तंगोपिटा महायोजना-2001 से तंगोपिटा आदर्श जोनिंग - रेगुलेशन के भू-उपयोग जोन का प्रथम दृष्टया मिलान करने पर कतिपय ऐसे भू-उपयोग जोन हैं, जो कि गातन द्वारा प्रेषित तंगोपिटा जोनिंग रेगुलेशन के समस्त नहीं हैं, आः गातन स्तर से इत सम्बन्ध में निम्न मुख्य बिन्दुओं पर मार्गदर्शन अपेक्षा है:-

1. लखनऊ महायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भू-उपयोग जोन में शुद्ध - आवासीय एवं मिश्रित आवासीय भू-उपयोगों के समस्त जोन का प्राविधान नहीं किया गया है। लखनऊ महायोजना में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत आवादी मध्यम घनत्व, उच्च घनत्व तथा प्रतिवर्धित आवासीय भू-उपयोग दर्शाये गये हैं, जबकि मिश्रित - भू-उपयोग के अन्तर्गत नगर के परम्परागत व्यावसायिक क्षेत्र यथा:- चोक, फौहगंज, डालीगंज तथा पहिपागंज क्षेत्र को प्रस्तावित किया गया है। इत भू-उपयोग को व्यावसायिक / आवासीय उपयोग श्रेणी-ओ१ से दर्शाया गया है तथा इत भू-उपयोग के अन्तर्गत भू-तल एवं प्रथम तल पर व्यावसायिक / कार्यालय उपयोग तथा स्मरती तलों पर आवासीय उपयोगों को अनुमत्य किया गया है। आः लखनऊ-महायोजना में प्रस्तावित उपर्युक्त आवासीय व मिश्रित उपयोग को जोनिंग रेगुलेशन में प्रस्तावित आवासीय एवं मिश्रित उपयोग से प्रतिस्थापित किये जाने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ आसगी।
2. लखनऊ महायोजना में प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत सहाय-वाणिज्यिक केन्द्र, नगर केन्द्र, उपनगर केन्द्र, सहाय विपणन केन्द्र -

- बाजार मार्ग, होटल, मिनिरल ताइडिंग, थोक व्यापार केन्द्र तथा पेपर हाऊसिंग इत्यादि मुख्य उपयोगों को रखा गया है तथा जोडिंग रेगुलेशन्स में नगर केन्द्र, उपनगर केन्द्र तथा स्पडीय विपणन केन्द्र हेतु अलग प्रकार के रेगुलेशन मिनिरल ताइडिंग, थोक मण्डी, पेपर हाऊसिंग एवं मिनिरल ताइडिंग हेतु अलग प्रकार की रेगुलेशन्स है, जबकि बाजार मार्ग हेतु अलग प्रकार की रेगुलेशन्स रखी गयी है। यह उपयोग भी तंशोपित जोडिंग रेगुलेशन्स में प्रस्तावित व्यावसायिक उपयोग के समस्य नहीं है, अतः उचित को प्रतिस्थापित करने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ होंगी।


3. तखनरु महायोजना में शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामुदायिक सुविधाओं तथा उपयोगिताएँ अंग्रेजी भाषा में अलग-अलग भू-उपयोग जोडने के रूप में दर्शाये गये हैं। तंशोपित जोडिंग रेगुलेशन्स में अध्याय-2 के अन्तर्गत सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं को अलग-अलग भू-उपयोग जोडने के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि अध्याय-5 के अन्तर्गत केवल सार्वजनिक सुविधाएँ भू-उपयोग जोडने दर्शाया गया है। अतः तखनरु महायोजना के शैक्षिक, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएँ तथा उपयोगिताएँ उपयोगों को केवल सार्वजनिक सुविधाओं में प्रतिस्थापित करने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी।
4. तखनरु महायोजना में इंधन एवं हरित-पट्टिका हेतु एक ही जोडिंग रेगुलेशन्स रखे गये हैं, जबकि तंशोपित जोडिंग रेगुलेशन्स के अध्याय-5 में कृषि एवं हरित-पट्टिका अलग-अलग भू-उपयोग जोडने के रूप में उल्लिखित है तथा अध्याय-2 के बिन्दुसंख्या-2.8 में हरित-पट्टिका, पार्क एवं क्रीड़ा-स्थल उपयोग के साथ उल्लिखित की गयी है। ऐसी स्थिति में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः हरित-पट्टिका को कितने उपयोग के साथ रखा जाना है, इस सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन आवश्यक होगा तथा इसे परिभाषित भी किया जाना आवश्यक होगा।
5. तखनरु महायोजना में मनोरचनात्मक उपयोग के अन्तर्गत पार्क एवं क्रीड़ा-स्थल, क्षेत्रीय पार्क, ऐतिहासिक स्मारक के भवन, विडिओघर व अजायबघर, वनस्पति-उद्यान इत्यादि उपयोग रखे गये हैं, जबकि जोडिंग रेगुलेशन्स में वनस्पति उद्यान-स्मारक, विडिओघर इत्यादि अन्य परिचर भू-उपयोग जोडने में रखे गये हैं तथा इन्हे पार्क एवं क्रीड़ा-स्थल जोडने के अन्तर्गत अनुमत्य भी नहीं किया गया है। यदि शासनविभाग के अनुसार पार्क एवं क्रीड़ा-स्थल भू-उपयोग जोडने को मनोरचना भू-उपयोग जोडने में प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उपर्युक्त परिस्थितियों को सुदृष्टता रखते हुए व्यावहारिक कठिनाइयाँ होंगी।
6. तखनरु महायोजना के अन्तर्गत हुतेनावाद, केतरवाग व लामाटीनिपर तीन - हेरिटेज जोन हैं, जिनमें अलग से वारतुहता सम्बन्धी एवं नियोजन सम्बन्धी नियंत्रण का प्राविधान किया गया है। महायोजना में जो नियोजन सम्बन्धी नियंत्रण उल्लिखित किये गये हैं, वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रणों से भिन्न हैं। अतः उनमें तंशोधन किया जाना आवश्यक होगा। वर्तमान में तखनरु नगर की महायोजना-2001-2021 की संरचना का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें उचित तंशोधन व विचार

-किया जाएगा, तदनंतर आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में हेरिटेज जोन्स के तमन्व में अलग से प्राविधान किये जाने आवश्यक होंगे।

7. वर्तमान में लागू जोनिंग रेगुलेशन्स जो कि तखनऊ महायोजना 2001 का भाग है, को पूर्ण में जनताधारण से आपत्ति इत्यादि प्राप्त करने के पश्चात लागू किया गया है। अतः यह बिन्दु भी विचारणीय होगा कि शासन द्वारा प्रेषित जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत करने से पूर्व इसपर जनताधारण से आपत्ति इत्यादि आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा अथवा नहीं।

उल्लेखनीय है कि तखनऊ नगर की नयी महायोजना 2001-2021 की संरचना का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा यह कार्य दिनांक 31.7.2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। अतः यह उचित होगा कि शासन द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं पर मार्सदर्शन प्राप्त होने के पश्चात मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से विचार विमर्श कर त्रिगोष्ठी जोनिंग - रेगुलेशन्स में आवश्यक परिष्कार कर इन्हें तखनऊ महायोजना 2001-2021 के ड्राफ्ट प्रारूप में तम्मिन्त करते हुए लागू कराने की कार्यवाही की जाय।

भवदीय,



॥ दिवाकर प्रसाठी ॥
उपाध्यक्ष।



विषय: गोमती नगर योजना के विराज खण्ड में नेशनल होम्योपैथिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ को पूर्व आवंटित 5 एकड़ भूमि के निकट सभागार, हर्बल गार्डन/हरबेरियम व खेल के मैदान हेतु 5 एकड़ अतिरिक्त भूमि आवंटित किए जाने के सम्बन्ध में।

आस्था: नेशनल होम्योपैथिक कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ को वर्ष, 1986 में सीतापुर रोड योजना के सेक्टर-डी में 5 एकड़ भूमि का प्रस्ताव, आवासीय दर पर, प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किया गया था। तत्कालीन सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 3.7.86 के क्रम में शैक्षिक संस्थाओं हेतु निर्धारित दर (शासनादेश के अनुसार आवासीय दर की 50 प्रतिशत-संलग्नक-क) पर संस्था को भूमि दिए जाने का निर्णय लिया गया। प्रस्ताव के अनुसार, शासन से धनराशि स्वीकृत न होने के कारण संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया गया और वर्ष, 1989 में भूमि की दर रूपये 425/-प्रति वर्गमीटर की आधी दर रूपये 215/-प्रति वर्गमीटर के अनुसार भुगतान करने के लिए सूचित किया गया। यह धनराशि मार्च/अप्रैल, 1989 में प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी गई थी। लीज रेंट के सम्बन्ध में पुनः 23.4.89 में निदेशक होम्योपैथिक कालेज द्वारा अनुरोध किया गया कि जिस प्रकार लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इंजीनियरिंग कालेज, सेण्ट्रल स्कूल, रिमोट सेन्सिंग सेण्टर आदि को अपनी योजनाओं में भूमि देकर रूपये 1/-प्रति वर्ष टोकेन लीजरेण्ट लिया है। उसी प्रकार होम्योपैथिक कालेज से भी रूपये 1/-प्रति वर्ष लीजरेण्ट लिया जाए क्योंकि नेशनल होम्योपैथिक कालेज भी सामाजिक सुविधाओं के अन्तर्गत आता है। उपरोक्त अनुरोध को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.6.89 में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर सम्यक विचारोपरान्त रूपये 1/-प्रति वर्ष लीजरेण्ट लिए जाने की सहमति प्रदान की गई थी।

कालान्तर में वहाँ पर समुचित मात्रा में भूमि उपलब्ध न होने के कारण, संस्था की सहमति की पश्चात्, जानकीपुरम विस्तार योजना में 4 एकड़ भूमि आवंटित की गई। जिसका निबन्धन दिनांक 1.6.92 को कराते हुए संस्था को कब्जा-पत्र भी निर्गत किया गया था।

वर्ष, 96 तक स्थल पर कृषकों के प्रबल विरोध के कारण कब्जा न दिए जा सकने एवं पहुँच मार्ग आदि का विकास न किए जा सकने के कारण, अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी, लखनऊ के साथ उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विचार-विमर्श कर, स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि गोमती नगर योजना के विराज खण्ड के समीप, जो संस्थागत एरिया है, उसमें आवंटित भूमि के विकल्प के रूप में उतनी ही भूमि दे दी जाए। यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त दोनों योजनाओं में जो भूमि की दरों का अन्तर है उसके अनुसार धनराशि ले ली जाए।

वर्ष, 1997 में संस्था द्वारा उपरोक्त भूमि से लगी हुई एक एकड़ भूमि और ली गई। जिसे उपरोक्त निर्धारित शर्तों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई।

उपाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत अपने पत्र संख्या-ए-6/01/587 दिनांक 5.3.2001 (संलग्नक-ख) प्रचार्य, होम्योपैथिक कालेज द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 27.2.2001 को कालेज के महिला छात्रावास के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के सुअवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्न घोषणाएँ की गई थी:-

1. चिकित्सा महाविद्यालय हेतु परिसर में उपलब्ध भूमि पर अथवा अन्य समुचित स्थान पर एक सभागार (आडिटोरियम) का निर्माण कराया जाना।
2. जड़ी-बूटियों के विकास तथा इस पर शोध के लिए हर्बल गार्डन हेतु समुचित भूमि उपलब्ध कराया जाना।

कृ.प.ऊ.

3. छात्रों के शारीरिक विकास हेतु विद्यालय के सन्निकट भूमि पर खेल के मैदान का निर्माण कराया जाना।

4. चिकित्सा महाविद्यालय में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए स्नात्कोत्तर (पी0जी0) पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराया जाना।

साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि माननीय प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने विद्यालय के वाह्य रोगी चिकित्सा तथा शिक्षण भवन के लोकार्पण के समय अपने सम्बोधन के माध्यम से भवन की भव्यता की सराहना करते हुए इसके लिए आवश्यक अन्य समस्त सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी। अतः कालेज परिसर के निकट 10 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम आवंटित करने की कृपा करें। उपरोक्त क्रम में 10 एकड़ भूमि हेतु संस्थागत दर रूपये 2400/- प्रति वर्गमीटर के अनुसार 10 प्रतिशत बल्केज छूट देते हुए प्रस्ताव दिया गया था। पुनः अपने पत्र संख्या-ए-6/2001/1223 दिनांक 24 अप्रैल, 2001 द्वारा प्रचार्य, नेशनल होम्योपैथिक कालेज द्वारा अवगत कराया गया कि शासन/प्रशासन स्तर पर 5 एकड़ भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया है और धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रगति पर है। दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 को प्राधिकरण को प्रतीकात्मक प्राविधान करते हुए रूपये 20.00लाख की धनराशि उपरोक्त आवंटन के विरुद्ध उपलब्ध करा दी गई। दिनांक 5.3.2001 को प्रस्तुत अपने पत्र (संलग्नक-ग) में प्राचार्य द्वारा पूर्व में दी गई 50 प्रतिशत छूट तथा रूपये 1/- वार्षिक टोकेन लीजरेण्ट पर ही भूमि आवंटित किए जाने का पुनः अनुरोध किया है। जिस पर सम्यक विचारोपरान्त उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सहारा/अपोलो हास्पिटल हेतु निर्धारित दर रूपये 1633.50 प्रति वर्गमीटर के अनुसार प्रस्ताव दिए जाने का निर्णय लेते हुए प्रकरण को बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। निम्न बिन्दु प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत हैं:-

1. सहारा/अपोलो हास्पिटल के लिए निर्धारित दर पर प्रस्ताव यथावत् रखा जाए अथवा पूर्व में आवासीय दर की 50 प्रतिशत दर पर दी गई छूट के अनुसार आवंटन हेतु प्रस्ताव दिया जाए।

2. लीजरेण्ट/फ्री-होल्ड चार्जेज वर्तमान प्रस्ताव में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत 12 प्रतिशत मॉंगा गया है। उसे पूर्व की भाँति ही रूपये 1/-वार्षिक टोकेन लीजरेण्ट पर दिया जाए अथवा नहीं।

3/2

[Handwritten Signature]

148,

श्री. एम. एस. शर्मा,
प्र. 1, बंगला,
उत्तर प्रदेश, भारत।

देवगंज,

111 अखिल,
भारत प्रजा प्रतिष्ठान,
उत्तर प्रदेश।

121 अखिल,
3070 अखिल एवं भारत प्रतिष्ठान,
भारत।

3262/96

26-3-96

2-4-96

अखिल प्रतिष्ठान, भारत: दिनांक: 18 मार्च, 1996

विषय: भारत प्रजा प्रतिष्ठान एवं उत्तर प्रदेश प्रजा प्रतिष्ठान एवं भारत प्रतिष्ठान के
संस्थाओं के संबंधित दस्तावेजों/पत्राचारों को सत्यापन करके प्र
काश करने के संबंध में।

प्रति,

प्र. 1, बंगला,
उत्तर प्रदेश

श्री. एम. एस. शर्मा, प्र. 1, बंगला, उत्तर प्रदेश प्रजा प्रतिष्ठान एवं उत्तर प्रदेश
प्रजा प्रतिष्ठान के संबंधित दस्तावेजों/पत्राचारों को सत्यापन करके प्रकाश
करने के संबंध में।

Om

1525/11-96-2001/42/36, दिनांक: 11 मार्च, 1996 भारत प्रतिष्ठान, उत्तर प्रदेश

03/04/96
उ. विकास प्राधिकरण

प्रतिष्ठान के संबंधित दस्तावेजों को सत्यापन करके प्रकाश करने के
संबंध में।

2. प्र. 1, बंगला में प्रकाशित दस्तावेजों/पत्राचारों को सत्यापन करके प्रकाश
करने के संबंध में।

2000 संख्या प्राप्ति तिथि

- 1. उत्तर प्रदेश प्रजा प्रतिष्ठान 15/03/96 उत्तर प्रदेश 40 प्रतिष्ठान
2. भारत प्रतिष्ठान 15/03/96 भारत प्रतिष्ठान " " " " " "

अखिल प्रतिष्ठान
उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	विवरण	प्रति दिन	टिप्पणी
3.	दूध का लेन	5 एड्स	दूध लेना
4.	विश्वी आलेख/ पोस्ट कार्ड/ फोटो/ डस्टी एग्स/ डस्टी एग्स	5 एड्स अन्य आलेख देना आम प्रतिदिन आम प्रतिदिन अन्य प्रतिदिन	दूध लेना
5.	दूध का विनिर्माण लेन	आलेख देना आम प्रतिदिन आम प्रतिदिन अन्य प्रतिदिन	दूध लेना
6.	विनिर्माण लेन	आलेख देना आम प्रतिदिन आम प्रतिदिन अन्य प्रतिदिन	दूध लेना

जो कि ती आलेख का लेन देना है उसे दूध लेने के लिए अर्थात् विनिर्माण परी कर लेना है आगे पर 5 एड्स प्रतिदिन देना है और प्रत्येक करनी वाली है।

प्रतिदिन के दूध लेने की आलेखों की सूची:-

दूध लेने पर 25 प्रतिशत आलेख के साथ आलेख 75 प्रतिशत आलेखों पर आलेख दिशों में 17 1/2 प्रतिशत आलेख देना है।
 साथ ही दिनांक का लेन पर विनिर्माण देना पर 15 प्रतिशत आलेख आलेख की आलेखों। दूध आलेखों पर दूध पर आलेखों पर 5 प्रतिशत की दूध लेने की आलेखों।

अर्थात् आलेख लेना है जो आलेखों की आलेखों पर आलेखों। आलेखों के साथ है।

आलेख,
 1. आलेखों के साथ है।
 2. आलेखों के साथ है।

प्रमाणित किया जाता है कि...

प्रमाणित किया जाता है कि...

दिनांक

111 प्रमाणित किया जाता है कि...

121 प्रमाणित किया जाता है कि...

प्रमाणित किया जाता है कि...

प्रमाणित

1 प्रमाणित किया जाता है कि...

1955

1955

1955

कार्यालय प्राध्यापक, राजकीय मेक्सि होमोपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,
लखनऊ

प्रेषक,
प्राध्यापक,
सेवा में,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पत्रांक: 27-6/01/587 दिनांक: 3-01

विषय: दिनांक 27-2-2001 को लखनऊ के महिला छात्रावास पर
प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के सुअक्षर पर माण्डू मुख्यमंत्री
जी द्वारा की गई घोषणाओं के विषयान्वयन के संबंध में।
==

महोदय,
आपको अवगत कराना है कि दिनांक 27-2-01 को माननीय
मुख्यमंत्री जी द्वारा इस विद्यालय महाविद्यालय के प्रशासनिक भवन एवं महिला
छात्रावास के लोकार्पण तथा कौशलिक संगोष्ठी के सुअक्षर पर आयोजित
समारोह को सम्बोधित करते हुये निम्नलिखित घोषणायें की गईं। उक्त अक्षर
पर माण्डू के माननीय शिक्षा मंत्री श्री नरेन्द्र कुमार सिंह और
एवं शिक्षा राज्य मंत्री डा० सीमा बिजवी तथा लखनऊ विद्यालय
शिक्षा उपप्रधान प निदेशक होमोपैथी, उपप्रधानस्थित थे।

1. विद्यालय महाविद्यालय हेतु परिसर में उपलब्ध भूमि पर
अथवा अन्य समुचित स्थान पर एक तनागार (आडिटोरियम)
का निर्माण कराया जाना।
2. कड़ी-बूटियाँ के विकास तथा इस पर शोध के लिये डी
गार्डन हेतु समुचित भूमि उपलब्ध कराया जाना।
3. छात्रों के शारीरिक विकास हेतु विद्यालय के सोल्नकट भूमि
पर खेल के मैदान का निर्माण कराया जाना।
4. विद्यालय महाविद्यालय में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराते
हुये स्नातकोत्तर (पीएचडी) पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराया जाना।

उपरोक्त संदर्भ में उल्लेखनीय है कि म त वर्ष दिनांक 27-2-2000
को माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विद्यालय के वास्तु
संगोष्ठी विद्यालय तथा शिक्षा भवन के लोकार्पण के समया अपने सम्बोधन के


427/10/01/2007
28/3/007
28/3/007

2
3
4
2/3/007
दिनांक

माध्यम से भवन की भवना की सराहना करते हुये इसके विषये आ-सयक अन्वेषण समस्त सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने की इच्छा व्यक्त की थी। माननीय प्रधान मंत्री महोदय की इच्छा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवास-भवन को देखते हुये उपरोक्त अवसर पर उक्त घोषणाये की।

उपरोक्त प्रस्ताव 2 व 3 पर अंकित घोषणाओं के विधान्यकन हेतु विद्यालय भवन के समीप ही 10 एकड़-खाली भूमि की आवश्यकता होगी जिसमें से 5 एकड़ भूमि पर जड़ी-बूटियों के विकास तथा इस पर शोध के लिये हर्ब गार्डन बनाया जायेगा। इस संबंध में विद्यालय भवन के दोषण की ओर तत्काल विकास प्राधिकरण की खाली पड़ी हुई भूमि, जिस पर बिजली के हाईवोल्टेज का तार का प्रवाह है जहाँ पर किसी भी प्रकार के आपासीय भवनों का निर्माण उद्घाटित संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि जहाँ पर संभव न हो तो कालेज के निकट जहाँ भी भूमि उपलब्ध हो सके वहाँ पर हर्ब गार्डन का निर्माण कराये जाने हेतु 5 एकड़ भूमि तथा छात्रों के शारीरिक विकास के लिये खेल-कूद की व्यवस्था के संबंध में खेल के मैदान हेतु 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है जिसमें आउटडोर एवं इन्डोर गेम्स की सम्पूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत एक फुटबल मैदान, हॉल/विंडोमन्टन हॉल, एक भंडार कक्ष, कामन रूम तथा शौचालय आदि की सुविधाये उपलब्ध करायी जानी है। इसके अतिरिक्त चारों ओर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाना है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त दोनों प्रयोजन हेतु 10 एकड़ भूमि उपरोक्तानुसार अथवा कालेज परिसर के निकट ही विद्यालय के नाम आवंटित क रने की कृपा करें। इसके साथ ही इस पर लागत हेतु संबंधित आगमन छात्रों के हित में तथा औषधीय शोध कार्य के प्रयोजनार्थ कम से कम धनराशि की व्यवस्था करते हुए पूर्ण विवरण यथाशीघ्र तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे कि शासन को वांछित धनराशि की स्वीकृति प्रदान कि ये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके। अतः यह कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का विधान्यकन की गई घोषणाओं की तिथि के 15 दिनों के अन्दर ही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

भवदीय,

 5/3/2001
 प्रो० बी० रमेश सिंह
 प्राचार्य

- 3 -

पृष्ठांकन संख्या: चूक 2-6/588-87 एदाकनांण

प्रतितीति- निम्नलिखित को सुचनार्थ सर्व आकाशक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. लीप, चिकित्सा शिक्षा, उपप्रशासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4, विकास भवन, लखनऊ ।
2. निदेशक होमोपैथी, उपप्र, लीन्दरा भवन, जयधम तल, लखनऊ ।

Samal
5/3/2001
|| प्रो वीर रंग सिंह ||
प्रचार्य।

प्रिय,

प्राचार्य,
नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं
चिकित्सालय, लखनऊ।

58

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक: ए-6/2002/897 लखनऊ:दिनांक 05 मार्च, 2002

विषय: राष्ट्रीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लखनऊ में सभागार, जेला का मैदान तथा हर्बल गार्डन/हारबेरियम हेतु भूमि क्रय किये जाने के लिए वर्तमान ~~इच्छा~~ वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्रथम अनुप्ररिक मांश के माध्यम से रु० 20.00 लाख प्रतीकात्मक प्राप्ति की व्यवस्था।

सहोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 4245/लेक-4/इकहतर-

2001-111वीं/2001 दिनांक 26.12.2001 के परिपेक्ष में निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: नि०बो०/1041/बजट/2001-2002/2665 दिनांक 1.3.2002 'छायाप्रति संलग्न' का अक्लोकन करने का कष्ट करें।

उक्त शासनादेश दिनांक 26.12.2001 द्वारा इस चिकित्सा-महाविद्यालय के लिये हारबेरियम के निर्माण हेतु भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में रु० 20.00 लाख 'ल्पे धीत' मात्र की प्रतीकात्मक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में यह उल्लेख किया गया है कि "उपर्युक्त वांछित भूमि का विवरण, उस पर आने वाली वास्तविक लागत एवं अन्य शर्तों बाद में निर्गत की जायेगी"। इस सम्बन्ध में भूमि के विवरण एवं उसकी वास्तविक लागत तथा अन्य शर्तों के बारे में शासन स्तर से अभी तक कोई भी निदेश प्राप्त नहीं हो सके है, जिसके संदर्भ में निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश एवं शासन से अनुरोध किया जा रहा है।

उपरोक्त के संदर्भ में कृपया अपने अधीनस्थ अनुसचिव(एन), बल्कोज, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या: 1375/सू०स्त०(एन)/135/2001 दिनांक 22.3.2001 'छायाप्रति संलग्न' का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसमें इस कॉलेज भवन '1'-गिराज कण्ड, गौमतीनगर से संलग्न 10 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में भूमि की लागत का पूर्ण विवरण दिया गया है। उक्त 10 एकड़

कृपया:-----2/5

42/11/2002
3/11/2002

59
5 भूमि के स्थान पर शासन द्वारा 5 एकड़ भूमि क्रय करने का निर्णय लेते हुये तदनुसार ही भवन निर्माण का आगमन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके सम्बन्ध में आपको इस कार्यालय के पत्र संख्या: स-6/2001/1223 दिनांक

24.4.2001। (आयाप्रति संलग्न) द्वारा स्थिति से अवगत कराते हुये 10 एकड़ भूमि के स्थान पर 5 एकड़ भूमि का आवंटन आरक्षित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था और इसके साथ ही साथ आपके अधीनस्थ मूल्य सर्वे विस्तृतता प्रकार श्री सत0बी0 भदनागर से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा यह अवगत किया गया कि आपके कालेज के लिए उक्त कार्य हेतु 5 एकड़ भूमि अभी भी आरक्षित है।

उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व में 1-विराज उग्रह, गोमतीनगर जहाँ पर वर्तमान में यह कालेज स्थित है, की 5 एकड़ भूमि आपके यहाँ से ही क्रय की गई थी जिस पर प्राधिकरण द्वारा 50% बलकेज फूट देते हुये मूल्य निर्धारित किया गया था साथ ही आवंटित भूमि पर प्राधिकरण द्वारा रु 1/- प्रति वर्ग की दर से अग्रिम 10 वर्ग का टोकेन रेंट जो तीस की 90 वर्ग की अवधि के लिये प्रीपेड होगा। के अनुसार चार्ज किया गया था।

अतः उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आपसे अनुरोध है कि इस चिकित्सा-महाविद्यालय हेतु कालेज की भूमि से संलग्न 5 एकड़ भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में संस्थागत क्षेत्र के अन्तर्गत 50% बलकेज फूट प्रदान करते हुये तथा रु 1/- टोकेन रेंट के अनुसार कुल कितनी धनराशि देय होगी कृपया तत्काल सूचित करने का कष्ट करें, जिससे तदनुसार ही शासन को वांछित धनराशि की मांग हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रेषित किया जा सके। इसके साथ ही साथ उपरोक्तानुसार स्वीकृत की गयी प्रतीकात्मक धनराशि रु 20.00 लाख को लउन्क विकास प्राधिकरण के पक्ष भुगतान करने हेतु प्राधिकार-पत्र जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
प्रो०बी०रम०सिंह
प्राचार्य।

विषय:- श्री गंगा राम पाण्डेय को कानपुर रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ई-2/38 सेक्टर "एच" के स्थान पर जानकीपुरम विस्तार योजना में भूखण्ड समायोजन हेतु आख्या ।

श्री गंगा राम पाण्डेय को लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ई-2/38 सेक्टर "एच" वर्ष 1989 में आवंटित किया गया था। इस भूखण्ड का निबन्धन भी वर्ष 1990 में श्री पाण्डेय के पक्ष में किया गया था। दिनांक 18.1.90 को उक्त भूखण्ड का कब्जा प्रमाण-पत्र भी जारी किया गया। उक्त भूखण्ड के स्थल पर अर्जनीय विवाद होने के कारण भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका । अब श्री पाण्डेय ने इस भूखण्ड के स्थान पर अन्य योजना में भूखण्ड परिवर्तन का अनुरोध किया है ।


प्राधिकरण की जानकीपुरम विस्तार आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 5/114ए आवंटन के लिए रिक्त है। यह भूखण्ड श्री गंगाराम पाण्डेय को आवंटित भूखण्ड संख्या ई-2/38/एच कानपुर रोड योजना के बदले में समायोजित करते हुए दिया जा सकता है, अतिरिक्त क्षेत्र का मूल्य वर्तमान दर पर देय होगा तथा निबन्धन इत्यादि का खर्चा आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।

इसके लिए प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति वांछित है। कृपया प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष उक्त स्वीकृति हेतु विचारार्थ आख्या प्रस्तुत है ।

ह0/ के0के0 सिंह
सहायक सम्पत्ति अधिकारी

ह0/ भूपेन्द्र सिंह
अपर सचिव


ह0/
उपाध्यक्ष



विषय:- श्री के0डी0 कपूर को आवंटित भूखण्ड संख्या:बीबी-8 सेक्टर "बी" अलीगंज विवादित होने के कारण गोमती नगर आवासीय योजना में वैकल्पिक भूखण्ड दिये जाने के सम्बन्ध में

अलीगंज आवासीय योजना के सेक्टर "बी" में भूखण्ड संख्या:बी बी-8 मूल ले-आउट प्लान में भूखण्ड के रूप में था परन्तु मुख्य नगर नियोजक एवं अभियन्त्रण खण्ड की आख्या के अनुसार यह भूखण्ड अध्यासित नहीं किया जा सका था जिसके कारण वर्तमान में इस भूखण्ड को दिया जाना सम्भव नहीं है। आवंटी द्वारा सम्पूर्ण धन जमा कर दिया गया है परन्तु प्राधिकरण द्वारा नीति के अनुसार एक योजना से दूसरी योजना में आवंटन पर विचार हेतु प्राधिकरण बोर्ड को अधिकृत किया गया है। वर्णित परिस्थितियों को देखते हुए श्री के0डी0 कपूर को अलीगंज आवासीय योजना से गोमती नगर योजना में 234 वर्ग मीटर के भूखण्ड आवंटन पर विचार करने हेतु श्री के0डी0 कपूर को आवंटित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल यदि आवंटित किया जाता है तो वह उसे लेने के लिए सहमत हैं एवं बढ़े हुए क्षेत्रफल के मद में देय प्रचलित दर जो भी हो उसका भुगतान करने के लिए तैयार हैं।

अतः श्री के0डी0 कपूर को अलीगंज आवासीय योजना से गोमती नगर आवासीय योजना में आवंटन पर विचार करने हेतु विषय विचारार्थ प्रस्तुत है ।





10.6.2002



लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समय-समय पर निर्गमित शासनादेशों का पालन किया गया है तथा शासनादेशों के विपरीत कोई कार्य अथवा नियमित भर्ती एवं पद सृजन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मेरे संज्ञान में नहीं किया गया है।

§ दिवाकर त्रिपाठी §

उपाध्यक्ष।

वर्ष 2001-2002 का वास्तविक तथा
मूल बजट

वर्ष 2002-2003



लखनऊ विकास प्राधिकरण

शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्रतिबद्ध

मूल बजट 2002-2003 की विषय सूची

क्र०सं०	विषय विवरण	पृष्ठ संख्या
1-	प्रस्तावना	1-5
2-	मूल बजट 2002-2003 का तुलनात्मक तथा सारांश एक दृष्टि में	6
3-	राजस्व आय	7-8
4-	पूँजीगत आय	9-11
5-	राजस्व/पूँजीगत आय पर संक्षिप्त टिप्पणी	12-14
6-	राजस्व व्यय	15-17
7-	पूँजीगत व्यय	18-20
8-	राजस्व/पूँजीगत व्यय पर संक्षिप्त टिप्पणी	21-23
9-	अधिष्ठान/योजनावार विकास/निर्माण व्यय प्रस्ताव परिशिष्ट	24-30

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ

2002-2003

प्रस्तावना

1.2 संक्षिप्त इतिहास एवं स्थापना

सर्वप्रथम लखनऊ नगर में आवास कार्यों का संचालन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा किया जाता था। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के अन्तर्गत फरवरी 1960 से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट लखनऊ नगर महापालिका के विकास विंग के रूप में, शहर के आवास और विकास कार्यों का संचालन करने लगा। शहर की बढ़ती आबादी के कारण यह अनुभव किया गया कि नगर में विकास और आवास के कार्यों के सुनियोजित ढंग से करने पर ही समस्या को सुलझाना सम्भव होगा। इसके समाधान की दृष्टि से वर्ष 1973 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की रचना की गयी और इसके अन्तर्गत शासकीय विज्ञप्ति सं. 3923/37- वि.प्रा. -72 दिनांक 11.9.1974 द्वारा लखनऊ नगर को योजनाबद्ध विकास हेतु विकासशील क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र में लखनऊ नगर महापालिका (नगर निगम) की सीमा के अन्दर का क्षेत्र तथा महापालिका सीमाओं में 8 किलो मीटर दूरी का क्षेत्र (कन्टोनमेंट एवं केंद्रीय सरकार द्वारा जल-थल नभ सेवा हेतु आरक्षित किये गये क्षेत्र छोड़कर) विकासशील सम्मिलित क्षेत्र घोषित किया गया, इस विकासशील क्षेत्र का सुनियोजित ढंग से विकास करने की दृष्टि से लखनऊ विकास प्राधिकरण, की स्थापना शासकीय विज्ञप्ति सं० 2829/37 - 1-स-2 वि.प्रा. दिनांक 13-9-1974 द्वारा की गयी। इस प्रकार अपने सम्पूर्ण परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के साथ लखनऊ नगर महापालिका से अलग होकर प्राधिकरण एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करने लगा।

1.2 संगठन

लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्तमान संगठन निम्न प्रकार है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ | अध्यक्ष |
| 2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ | उपाध्यक्ष |
| 3. मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका
(नगर निगम) लखनऊ | सदस्य (पदेन) |
| 4. सचिव, आवास एवं नगर विकास, उ.प्र. शासन | सदस्य (पदेन) |
| 5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन | सदस्य (पदेन) |
| 6. मुख्य ग्राम्य एवं ग्राम्य नियोजक, उ.प्र. | सदस्य (पदेन) |
| 7. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम,
(जिसकी स्थापना जल सम्पूर्ति एवं
सीवरेज एक्ट 1975 के अन्तर्गत हुई) | सदस्य (पदेन) |
| 8. जिलाधिकारी, लखनऊ | सदस्य (पदेन) |
| 9. शासन द्वारा मनोनीत (अशासकीय सदस्य) | सदस्य (पदेन) |

इसके अतिरिक्त विभिन्न पदों पर 1519 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं एवं 757 दैनिक वेतन भोगी एवं वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं।

- 1.3 उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-7 के अनुसार प्राधिकरण, का उद्देश्य विकास क्षेत्र को योजनानुसार विकसित करना है। इस प्रयोजन हेतु इसका उद्देश्य निम्न प्रकार है:-

- (1) प्राधिकरण के कार्यों हेतु भूमि तथा अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्यवस्था करना।
- (2) निर्माण कार्य, खनन तथा अन्य सम्बन्धित कार्यों को निष्पादित करना।
- (3) जल, बिजली के प्रदाय के सम्बन्ध में योजनाओं को निष्पादित करना।
- (4) मल का व्ययन करने और अन्य सेवायें एवं सुख-सुविधायें उपलब्ध कराना।
- (5) साधारण विकास के प्रयोगों के लिए तथा अनुशासित प्रयोजनों के लिए भी कार्य करना है।

1-4 कार्य कलाप

उपरोक्त पैरा में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विकास प्राधिकरण, निम्नांकित कार्य-कलापों को विशेष रूप से करता है:-

- (1) भूमि अर्जन
- (2) भूमि विकास
- (3) आवासीय भवनों/दुकानों तथा व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण
- (4) मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना
- (5) भूमि विकास एवं निर्माण विनियम का पालन सुनिश्चित करना।
- (6) शासन के निर्देशों के अनुसार नजूल भूमि तथा सम्पत्ति का प्रबन्ध।
- (7) सौन्दर्यीकरण/पार्कों का निर्माण/रख-रखाव तथा वृक्षारोपण।
- (8) इसके अतिरिक्त शासन द्वारा निर्देशित कार्य।


2001-2002 में प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाने वाली प्रमुख योजनाओं में, कानपुर रोड़, गोमती नगर, सीतापुर रोड़, जानकीपुरम् विस्तार, अवध अपार्टमेंट तथा शारदा नगर थी। इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी योजनायें भी थीं। सरकारी कर्मचारियों हेतु भवन निर्माण, गोमती नगर योजना के वास्तु खण्ड, विनम्र खण्ड, विजयन्त खण्ड, विभव खण्ड, विक्रान्त खण्ड, विराज खण्ड, विशेष खण्ड, ग्राम पारा योजना, आश्रय विहीन योजना, शारदा नगर तथा कानपुर रोड़ योजनाओं के विभिन्न खण्डों पर अधिक ध्यान दिया गया और प्रयास किया गया कि इनके विकास कार्य/भवन निर्माण पूर्ण हो जायें।


- 1.5 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट 2000-2001 तक बनाई जा चुकी है।
- 1.6 प्राधिकरण कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि, पेंशन, सामूहिक जीवन बीमा, की सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण कोष की सुविधा भी प्राप्त है। भविष्य - निधि की जमा धनराशि विनियोजित भी कर दी जाती है ताकि कर्मचारियों को अधिक से अधिक ब्याज का लाभ हो सके।
- 1.7 लखनऊ विकास प्राधिकरण लेखों का महालेखाकार इलाहाबाद द्वारा 2000-2001 तक का परीक्षण किया जा चुका है।
- 1.8 वर्ष 2001-2002 में वित्तीय स्थिति को सुदृढ बनाने का प्रयास किया गया तथा वर्ष के अन्त तक अधिक से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति की गयी तथा आवश्यक एवं अपरिहार्य दायित्वों का अधिक सीमा तक भुगतान किया गया। संस्थागत ऋणों के मूल धन तथा ब्याज के भुगतान भी 31.3.2002 तक के पूर्ण रूप से किये गये हैं। शासकीय ऋण रू० 324.66 लाख का भुगतान किया गया है, अवशेष भुगतान हेतु विभिन्न योजनाओं में शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है, जो शासन स्तर पर लम्बित है।


- 1.9 वर्ष 2002-2003 हेतु बजट प्रस्ताव तथा पूर्व वर्ष 2001-2002 का बजट योजनाबद्ध रूप से संकलित करके प्रस्तुत किये जा रहे हैं। बजट में इस ओर अधिक ध्यान दिया गया है कि योजना की आय का प्रयोग उसी योजना पर किया जाये ताकि उत्पादक मदों पर धनराशि का अधिक से अधिक व्यय हो सके तथा ऋण लेने से बचा जा सके। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000-2001 में सम्पत्ति के विक्रय से रू० 12,209.24 लाख की तुलना में वर्ष 2001-2002 में रू० 16,672.11 लाख की आय हुई जोकि 36.55 प्रतिशत अधिक है तथा बजट 2001-2002 में प्रस्तावित आय रू० 13,225.00 लाख के सापेक्ष 126.06 प्रतिशत आय प्राप्त हुई, तथा भूमि प्रतिकर के भुगतान के साथ-साथ ऋणों का भुगतान समयावधि के अन्दर किया गया है।


(लाख रुपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	वास्तविक बजट 2000-2001	मूल बजट 2001-2002	वास्तविक आंकड़े 2001-2002	मूल बजट 2002-2003
1.	प्रारम्भिक अवशेष	2,359.87	2,986.98	2,986.98	4,211.29
2.	आय	17,194.36	23,061.00	23,296.93	23,490.00
	योग	19,554.23	26,047.98	26,283.91	27,701.29
3.	व्यय	16,567.25	24,198.88	22,072.62	22,731.85
4.	अन्तिम अवशेष	2,986.98	1,849.10	4,211.29	4,969.44
	योग	19,554.23	26,047.98	26,283.91	27,701.29


(सुभाष चन्द्र)
लेखाकार


(पारस नाथ)
सहायक लेखाधिकारी


(मनोमीहन)
मुख्य लेखाधिकारी


(रेखा गुप्ता)
सचिव

आय पक्ष

राजस्व लेखा

(लाख रूपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	वास्तविक बजट 2000-2001	प्रस्तावित बजट 2001-2002	वास्तविक आकड़े 2001-2002	मूल बजट 2002-2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	किराया				
	1- समस्त योजनाओं का लीज किराया/ फ्री होल्ड शुल्क	158.52	250.00	212.69	250.00
	2- भवनों/दुकानों/कार्यालय भवनों का किराया	45.42	70.00	34.84	70.00
	3- सामुदायिक केन्द्रों का किराया	3.28	5.00	5.02	6.00
2-	स्टाम्प ड्यूटी से आय	556.89	500.00	324.66	500.00
3-	योजनाओं की जल सम्पूर्ति/ सीवर चार्ज	30.92	60.00	48.01	50.00
4-	विनियोगों पर व्याज	79.80	100.00	80.43	100.00
5-	भवन नियंत्रण विभाग से आय				
	1- मानचित्र शुल्क	12.34	15.00	15.37	20.00
	2- लगी चार्ज	15.73	15.00	23.77	55.00
	3- समाधान शुल्क (कम्पाउन्डिंग)	98.74	200.00	41.59	55.00
	4- लाइसेंस शुल्क	1.46	2.00	0.52	2.00
	5- विकास शुल्क/सृष्टीकरण	45.30	90.00	67.23	21.00
	6- मलवा चार्ज	46.61	50.00	42.44	54.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	7- सुपरवीजन चार्ज	26.42	30.00	24.27	35.00
6.	विभिन्न प्रपत्रों की विक्री से आय				
	1. फार्म/रजिस्ट्रेशन प्रपत्रों / नक्शे की विक्री से आय	5.22	10.00	7.20	12.00
7.	टेकेदार पंजीकरण शुल्क	0.06	20.00	-	20.00
8.	पार्को से आय				
	1. प्राधिकरण पार्को से आय (नजूल पार्क सहित)	28.50	30.00	20.37	30.00
9.	हस्तांतरण शुल्क	28.95	30.00	13.22	30.00
10.	अन्य आय	41.72	50.00	194.12	100.00
	योग	1,225.88	1,527.00	1,155.75	1,410.00

पूँजीगत आय

(लाख रूपये में)

क्रमांक	मद का वितरण	वास्तविक बजट 2000-2001	प्रस्तावित बजट 2001-2002	वास्तविक आंकड़े 2001-2002	मूल बजट 2002-2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ऋण				
	1. हुडको से ऋण	750.23	3,000.00	-	100.00
	2. वित्तीय संस्थाओं से ऋण	-	2,000.00	-	-
	योग	750.23	5,000.00	-	100.00
2.	शासन से अनुदान				
	1) अम्बेडकर उद्यान	397.59	800.00	400.00	400.00
	2) नजूल पार्क	-	14.00	-	20.00
	3) महाराजा बिजली पासी किला	-	10.00	-	-
	योग	397.59	824.00	400.00	420.00
3.	डिपाजिट कार्य				
	1) सी.एस.आई.गोमती नगर	251.67	200.00	150.00	200.00
	2) कन्या महाविद्यालय अलीगंज, लखनऊ	18.75	25.00	6.25	-
	3) अन्य	62.59	100.00	61.11	100.00
	योग	333.01	325.00	217.36	300.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	सम्पत्ति के आवंटन से आय				
	1. आवासीय भूखण्डों की विक्री	1,764.03	3,425.00	5,825.51	6,900.00
	2. व्यावसायिक भूखण्डों की विक्री एवं बल्क सेल	2,514.29	3,000.00	2,661.01	4,500.00
	3. भवनों की विक्री/किस्त से आय	7,438.52	6,000.00	7,924.37	6,400.00
	4. व्यावसायिक भवनों/दुकानों की विक्री	217.23	500.00	74.87	150.00
	5. किराये की सम्पत्ति की विक्री से आय	275.17	300.00	186.35	200.00
	योग	12,209.24	13,225.00	16,672.11	18,150.00
5.	पंजीकरण से आय				
	भूखण्ड/भवन/दुकान	620.27	800.00	3,288.07	800.00
6.	विविध आय	319.13	200.00	130.82	150.00
	योग	939.40	1,000.00	3,418.89	950.00
7.	भण्डारण की कटौतियाँ				
	1) सीमेंट	132.95	100.00	28.36	100.00
	2) स्टील तथा अन्य	-	50.00	0.75	50.00
	योग	132.95	150.00	29.11	150.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	उचन्त लेखा				
	1) कर्मचारियों से वाहन ऋण की वापसी	1.91	3.00	1.25	3.00
	2) कर्मचारियों से भवन ऋण वापसी	4.68	7.00	2.46	7.00
	3) विनियोगों का आहरण	1,199.47	1,000.00	1,400.00	2,000.00
	योग	1,206.06	1,010.00	1,403.71	2,010.00
	कुल योग	15,968.48	21,534.00	22,141.18	22,080.00

मूल बजट 2002-2003 के राजस्व/पूँजीगत, लेखे पर संक्षिप्त टिप्पणी

आय-पक्ष

राजस्व लेखे की आय पक्ष में आवर्तक मदों से प्राप्त होने वाली आय जमा की जाती है। इस लेखे में प्रमुख मदें विभिन्न किरायों से आय, भवन विभाग से आय विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों से आय तथा पार्को से आय सम्मिलित है।

किराये की मद में लीज किराया, भवनों, दुकानों के किराये शामिल हैं। इसके प्राविधान पूर्व वित्तीय वर्ष के वास्तविक प्राप्ति, बकाया तथा वजट वर्ष की मांग पर आधारित है। वर्ष 2001-2002 के मूल वजट में कुल प्राविधान रु० 325.00 लाख था। जिसके विरुद्ध रु० 252.55 लाख की वास्तविक आय वर्ष 2001-2002 में प्राप्त हुई है। वर्ष 2001-2002 में यह आय रु० 326.00 लाख प्रस्तावित की गई है। किराये के प्राविधान वास्तविक तथा पूर्व वर्षों के बकाये को ध्यान में रख कर प्रस्तावित किये गये हैं। स्टाम्प ड्यूटी से आय हेतु वर्ष 2001-2002 में रु० 500.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया था जिसके विरुद्ध रु० 324.66 लाख की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2002-2003 में रु० 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

भवन नियंत्रण विभाग से मानचित्र, समाधान, लाइसेंस फीस, विकास तथा मलवा चार्ज की मदों से आय प्राप्त होती है। वजट 2001-2002 में रु० 215.19 लाख की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2002-2003 हेतु रु० 242.00 लाख का प्राविधान किया गया है नई आवास नीति के अंतर्गत 100 मीटर तक भवनो के मानचित्र पारित कराना अनिवार्य नहीं है। परन्तु एल0डी0ए0 के मानक के अनुसार निर्माण करना आवश्यक है।

पूँजी लेखा, विकास प्राधिकरण के लेखों का मुख्य भाग है जिससे भूमि भवन

व्यावसायिक केन्द्र की बिक्री, शासन एवं संस्थागत ऋणों की प्राप्ति दर्शायी जाती है। इस समय जानकीपुरम् विस्तार, गोमती नगर योजना मे वास्तु, विनम्र, विराज इत्यादि खण्डों में भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगले वर्ष में देय किश्तों की धनराशि पूर्व वर्षों की बकाया धनराशि तथा बजट वर्ष में नई मांग को ध्यान में रख कर प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। इसी प्रकार शारदा नगर योजना, कानपुर रोड योजना, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम् विस्तार योजना विकल्प खण्ड, गोमती नगर विस्तार इत्यादि में भी कार्य चल रहे हैं तथा अगले वर्ष में भी योजनाबद्ध रूप से कार्य कराये जाने के प्रस्ताव हैं। आश्रयविहीन हेतु विशेष कर योजनायें चलाई जा रही हैं। अतः भूमि/भवन की बिक्री की मदों में निम्नवत् रूप से प्राविधान रखे गये हैं।

सम्पत्ति की बिक्री	मूल बजट 2001-2002	वास्तविक 2001-2002	मूल बजट 2002-2003
भूमि की बिक्री	6,425.00	8,486.52	11,400.00
भवनों, दुकानों आदि की बिक्री	6,500.00	7,999.24	6,550.00
किराये की सम्पत्ति की बिक्री से आय	300.00	186.35	200.00

उपरोक्त प्रस्ताव में पूर्व वर्षों की वास्तविक प्राप्ति को ध्यान में रखा गया है तथा अधिक से अधिक बकाये तथा चालू वर्ष की मांग की वसूली को दृष्टि में रखा गया है। साथ ही साथ शासन द्वारा निर्देशित गोमती नगर, विपिन खण्ड में CSI भवन बनाये जा रहे हैं, जिसके निमित्त रु० 200.00 लाख प्राप्ति का प्राविधान किया गया था। जिसके विरुद्ध रु० 150.00 लाख वर्ष 2001-2002 में प्राप्त हुआ है। अम्बेडकर पार्क के शेष निर्माण हेतु शासन से विशेष अनुदान रु० 400.00 लाख प्राप्त करने का प्राविधान किया गया है।

भवनों की विक्री:-

भवनों की किश्तों/विक्री तथा हायर परचेज से प्राप्त होने वाली आय की मद में वर्ष 2001-2002 हेतु रू0 6000.00 लाख के प्रस्ताव के विरुद्ध वर्ष 2001-2002 में रू0 7,924.37 लाख की आय प्राप्त हुई है। अतः वर्ष 2002-2003 हेतु रू0 6400.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

पूँजी लेखे की प्रमुख मद पंजीकरण से प्राप्त होने वाली आय है। बजट प्राविधान वर्ष 2001-2002 हेतु रू0 800.00 लाख के विरुद्ध रू0 3288.07 लाख की आय वर्ष 2001-2002 में प्राप्त हुई है। वर्ष 2002-2003 हेतु रू0 800.00 लाख का प्राविधान रखा गया है।

अपनी सम्पत्ति की विक्री से होने वाली आय के अतिरिक्त शासन से ऋण/अनुदान/डिपाजिट तथा संस्थागत ऋणों के प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं।

1.	हुडको तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण	रू0	100.00 लाख
2.	शासन से अनुदान	रू0	420.00 लाख
3.	डिपाजिट कार्य	रू0	300.00 लाख
	कुल	रू0	820.00 लाख

व्यय पक्ष

राजस्व व्यय

(लाख रूपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	वारस्तविक बजट 2000-2001	प्रस्तावित बजट 2001-2002	वारस्तविक आकड़े 2001-2002	मूल बजट 2002-2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अधिष्ठान के वेतन भत्ते (परिशिष्ट-9)	1,640.68	1,832.88	1,797.65	2,000.00
2	मशीनरी संयंत्र/मरम्मत अन्य स्टोर पर व्यय				
	1. स्टोर क्रय/ मशीन मरम्मत	42.98	36.00	109.00	40.00
	2 पेट्रोल/ईंधन पर व्यय	36.19	35.00	66.90	40.00
3.	कानूनी व्यय	26.17	25.00	38.11	25.00
4.	स्टेशनरी/प्रिंटिंग	65.88	55.00	99.61	60.00
5.	वर्दी	0.78	5.00	7.88	7.00
6.	टेलीफोन	13.89	15.00	19.61	15.00
7.	विजली	348.39	350.00	374.83	350.00
8.	विज्ञापन	104.54	60.00	162.76	80.00
9.	स्थानीय गृहकर एवं जलकर	7.18	5.00	2.29	5.00
10.	उपाध्यक्ष विवेकाधीन कोष	0.30	5.00	-	5.00
11.	जलपान व्यय	8.86	5.00	15.02	5.00
12.	आडिट फीस	15.00	20.00	20.00	20.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	पुस्तकालय, पत्रिका	0.63	1.00	0.63	1.00
14.	मानदेय	5.62	3.00	8.64	5.00
15.	क्रीडा/प्रतियोगिताओं हेतु	-	2.00	1.30	2.00
16.	बैंक/शासकीय गारन्टी कमीशन	1.08	1.00	0.05	1.00
17.	कार्यालय भवन का रख-रखाव	28.32	20.00	42.67	25.00
18.	आवासीय भवन/दुकानों का रख-रखाव	3.52	5.00	3.81	5.00
19.	सा0 केन्द्र का रख-रखाव	0.30	2.00	4.44	2.00
20.	सीवरेज/जल सम्पूर्ति का रख-रखाव	54.83	50.00	50.09	50.00
21.	हाट मिक्स प्लान्ट का रख-रखाव	19.91	20.00	18.20	20.00
22.	कम्प्यूटर आदि का रख-रखाव	2.91	5.00	33.42	10.00
23.	पार्को के रख-रखाव पर व्यय	47.63	50.00	67.39	50.00
24.	सर्वे कार्य पर व्यय	3.24	10.00	0.20	10.00
25.	नगर विकास	222.35	-	-	-
26.	विविध व्यय	147.58	100.00	220.69	150.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27.	ऋणों पर देय ब्याज की वापसी				
	1. शासन/विश्व बैंक	-	300.00	-	210.00
	2. हुडको	866.13	900.00	660.48	450.00
	3. बैंक	102.23	150.00	62.57	37.48
	4. वित्तीय संस्थाएं	12.84	13.00	12.72	12.00
	योग-	3,829.96	4,080.88	3,900.96	3,692.48

पूँजीगत व्यय

(लाख रुपये में)

क्रमांक	मद का विवरण	वास्तविक बजट 2000-2001	प्रस्तावित बजट 2001-2002	वास्तविक आकड़े 2001-2002	मूल बजट 2002-2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भूमि का प्रतिकर				
	अध्याप्ति द्वारा	1,047.54	7,000.00	3,422.54	6,000.00
	योग	1,047.54	7,000.00	3,422.54	6,000.00
2.	अचल सम्पत्ति पर व्यय				
	1. मशीनरी संयंत्र/भारी वाहनों का क्रय	19.14	50.00	32.79	40.00
	2. विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कम्प्यूटरीकरण हेतु व्यय	-	25.00	5.00	20.00
	3. फर्नीचर	10.35	10.00	48.67	10.00
	योग	29.49	85.00	86.46	70.00
3.	भूमि विकास पर व्यय				
	1. योजनावार (परिशिष्ट-क)	4,255.80	5,240.00	4,914.73	5,500.00
	योग	4,255.80	5,240.00	4,914.73	5,500.00
	2. योजना अनुरक्षण पर व्यय	315.25	360.00	667.83	600.00
	योग	315.25	360.00	667.83	600.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	निर्माण पर व्यय				
	योजनावार (परिशिष्ट-ख)	1,607.95	1,800.00	1,038.95	1,360.00
	योग	1,607.95	1,800.00	1,038.95	1,360.00
5.	भण्डार व्यय				
	सीमेंट	133.98	100.00	13.17	100.00
	स्टील/पाइप आदि	148.99	150.00	181.80	200.00
	योग	282.97	250.00	194.97	300.00
6.	ऋणों का प्रतिदान				
	1. शासन/विश्वबैंक	-	250.00	324.66	175.00
	2. हुडको	1,413.72	1,560.00	1,295.53	1,180.00
	3. बैंक	341.00	241.00	1,180.75	248.58
	4. वित्तीय संस्थाएं	9.96	10.00	10.08	10.79
	योग	1,764.68	2,061.00	2,811.02	1,614.37
7.	डिपाजिट वर्क				
	1. सी0एस0आई0	525.61	100.00	140.33	200.00
	2. अम्बेडकर उद्यान	7.34	1,200.00	632.80	400.00
	3. अन्य डिपाजिट कार्य	27.19	12.00	47.78	160.00
	4. विजली पार्सी का किला	2.51	-	0.23	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. महिला विद्यालय	44.82	10.00	23.66	5.00
	6. पं० दीन दयाल पार्क	19.15	-	1.50	-
	7. वंगम हजरत महल पार्क	-	100.00	120.69	10.00
	8. कसरवाग/हेरीटेज जोन	-	100.00	-	20.00
	योग	626.62	1,522.00	966.99	795.00

8. उच्चन्त लेखा

	1. जमा धन वापसी	926.07	600.00	868.81	600.00
	2. भवन/वाहन अग्रिम	5.11	100.00	36.24	100.00
	3. सावधि जमा/पुर्न विनियोजन	1,845.00	1,000.00	3,105.25	2,000.00
	4. अन्य व्यय	30.81	100.00	57.87	100.00
	योग	2,806.99	1,800.00	4,068.17	2,800.00
	कुल योग	12,737.29	20,118.00	18,171.66	19,039.37

व्यय पक्ष

राजस्व/पूँजीगत लेखे

पूँजीगत लेखा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखों का प्रमुख अंश है इस लेखों से प्राधिकरण के कार्य-कलापों की प्रतिपूर्ति की जाती है तथा उससे सम्बन्धित व्यय सम्पन्न किये जाते हैं। प्रमुख मदों पर संक्षिप्त टिप्पणी निम्नवत् प्रस्तुत है:-

1- भूमि अर्जन:

इस मद से प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो भूमि अर्जित की जाती है उसका प्रतिकर भुगतान किया जाता है, प्राधिकरण की स्थापना से वर्ष 2001-2002 तक जिसका निरन्तर भुगतान करने का प्रयास किया जाता रहा है अवशेष प्रतिकर के सम्बन्ध में भुगतान पर अत्यन्त जोर दिया जा रहा है वर्ष 2001-2002 में रू0 3,422.54 लाख का भुगतान इस मद में किया गया है। वर्ष 2002-2003 में अवशेष तथा गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत नई अधिगृहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु रू0 6000.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। इस धनराशि के भुगतान करने के लिए प्राधिकरण श्रोतों से भुगतान करने हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

2- मशीनरी एवं संयंत्रों का क्रय:-

इस मद में कुल प्राविधान रू0 70.00 लाख प्रस्तावित है जिसमें विभिन्न विभागों के समन्वित कम्प्यूटरीकरण एवं फर्नीचर क्रय प्रमुख है।

3- योजनाओं के विकास कार्य:-

विभिन्न योजनाओं के विभिन्न खण्डों में तीव्र गति से विकास के कार्य चल रहे हैं जिनमें सड़कों के निर्माण, सीवर विछाने का कार्य जल व्यवस्था तथा प्रकाश व्यवस्था पूर्ण करने हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। गोमती नगर में नेहरू इन्वलेव योजना विनीत, विभूति, विपुल तथा विराट, विराज, वास्तु खण्ड तथा

गोमती नगर विस्तार योजना इत्यादि में आन्तरिक तथा वाह्य विकास शीघ्रता के साथ पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जायेगा, शारदा नगर के खण्डों, कानपुर रोड़ के सेक्टर एफ, सेक्टर-आई तथा सेक्टर- वी तथा डी-1 में व्यवसायिक क्षेत्र इत्यादि में तथा सीतापुर रोड़ में जानकीपुरम् विस्तार योजना सहित हरदोई रोड़ योजना सीतापुर रोड़ सेक्टर-जे तथा अन्य योजनाओं में विकास कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया जाना है।

बजट में वर्ष 2001-2002 में विकास कार्य तथा अनुरक्षण हेतु 5600.00 लाख का प्राविधान रखा गया था जिसके विरुद्ध 5,582.56 लाख का व्यय वर्ष 2001-2002 में किया गया है वर्ष 2002-2003 हेतु 6100.00 लाख व्यय करने हेतु प्रस्ताव रखा गया है।

सामान्य योजनाओं में विकास कार्यों के अतिरिक्त, योजनाओं तथा अन्य स्थानों पर मनोरंजन स्थल, सौन्दर्यीकरण, पार्कों का विकास करने के उद्देश्य से तथा निकटवर्ती ग्रामों के विकास इत्यादि हेतु प्राविधान प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास अवस्थापना गैप्स हेतु रू० 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार हेतु अन्य संस्थाओं को सहयोग देने हेतु भी प्राविधान किए गए हैं।

4- भवन निर्माण:-

भवन निर्माण कार्य प्राधिकरण का प्रमुख कार्य कलाप है इस समय प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना के विपुल खण्ड, विराट खण्ड, विनीत खण्ड, विशेष खण्ड, वास्तु खण्ड, विनम्र खण्ड तथा जानकी पुरम विस्तार में भवन निर्माणाधीन है बजट वर्ष में विभव खण्ड, वास्तु खण्ड, विनम्र खण्ड, जानकीपुरम् विस्तार योजना हरदोई रोड़, सीतापुर रोड़ सेक्टर-जे में भवनों का निर्माण तथा गोमती नगर योजना में अवशेष पुलों के निर्माण तथा कैंसरवाग स्थित सब्जी मण्डी स्थल का विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में निर्माणाधीन भवनों को पूरा करने एवं गोमती नगर, जानकी पुरम विस्तार, शारदा नगर, कानपुर रोड़ योजना में नये आवास निर्माण का प्रस्ताव है साथ ही साथ हरदोई रोड़ योजना ग्राम पारा सीतापुर रोड़ सेक्टर-जे में आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रकार भवनों के निर्माण हेतु रू० 860.00 लाख का व्यय प्रस्तावित किया गया है भवन निर्माण के अतिरिक्त दुकानों तथा सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु रू० 230.00 लाख तथा प्राधिकरण भवन निर्माण हेतु रू० 80.00 लाख अन्य निर्माण कार्यों हेतु रू० 190.00 लाख, इस प्रकार निर्माण कार्यों हेतु कुल रू० 1,360.00 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

प्राधिकरण अपने योजनाओं के विकास कार्य एवं भवन निर्माण के अतिरिक्त शासन से भवन निर्माण हेतु डिपॉजिट कार्य के रूप में भी वजट में प्राविधानित किया गया है। अम्बेडकर उद्यान, सी०एस०आई०, महिला विद्यालय आदि जिसके लिए रू० 795.00 लाख व्यय प्राविधानित किया गया है।

भवन सामग्री क्रय हेतु रू० 300.00 लाख का प्राविधान किया गया है प्राधिकरण को शासन, हुड़को तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों का भुगतान त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक किस्त व ब्याज के रूप में करना होता है अतः इस मद हेतु रू० 2,323.85 लाख का प्राविधान किया गया है।

यह मद प्राधिकरण की प्रमुख मद है वजट वर्ष में प्राप्त होने वाले ऋणों पर भी यदि ब्याज देय होगा उसे भी दिया जायेगा।

इस प्रकार राजस्व, पूँजीगत लेखा में रू० 22,731.85 का व्यय प्राविधानित है। प्राधिकरण कृपया निम्नवत् रूप में वर्ष 2001-2002 का वास्तविक तथा वर्ष 2002-2003 का प्रस्तावित वजट पारित करने का कष्ट करें।

अधिष्ठान के वेतन भत्ते

(लाख रुपये में)

क्रमांकमद का नाम		वर्ष 2001-2002 का मूल बजट	वास्तविक 2001-2002	प्रस्तावित 2002-2003
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य प्रशासन	231.71	176.58	194.24
2.	लेखा अनुभाग	48.20	35.01	38.51
3.	भवन अनुभाग	92.23	82.62	90.88
4.	सम्पत्ति अनुभाग	143.15	111.96	123.15
5.	किराया अनुभाग	14.02	13.12	14.43
6.	विधि अनुभाग	24.38	25.64	28.20
7.	कारिस्टिंग/कम्प्यूटर अनुभाग	41.64	41.54	45.70
8.	भू-अर्जन अनुभाग	29.34	33.07	36.38
9.	उद्यान अनुभाग	141.08	134.89	148.38
10.	मुख्य अभियन्ता अनुभाग	15.50	18.85	20.73
11.	अभियन्त्रण अनुभाग-2	464.42	467.26	513.98
12.	नजूल अनुभाग	32.61	32.45	35.70
13.	स्टोर विभाग (अभियन्त्रण)	36.02	35.63	39.20
14.	नियोजन विभाग	29.06	32.76	36.03
15.	न्यायाधिकरण पर व्यय	13.52	19.29	21.22
16.	पेंशन प्रोवीडेन्ट फण्ड अवकाश वेतन अंशदान	180.00	169.17	186.10
17.	सामूहिक बीमा अंशदान	6.00	4.01	6.00
18.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	10.00	24.41	47.85
19.	दैनिक वेतन कर्मचारी	70.00	97.25	106.97
20.	वर्क चार्ज कर्मचारी	210.00	242.14	266.35
योग		1,832.88	1,797.65	2000.00

वर्ष 2002-2003 में विकास कार्यो तथा अनुरक्षण पर प्रस्तावित व्यय प्रस्ताव

(परिशिष्ट-क)

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	योजना का नाम	भूमि विकास सड़क निर्माण	मल,नाली जलोत्सारण	जल सम्पूर्ति	पार्क	विद्युतीकरण	वि०/यां द्वारा सड़क निर्माण	वि०/यां द्वारा रख-रखाव	वि०/यां द्वारा जल सम्पूर्ति	गांवों का विकास	विकसित कार्यो का रख-रखाव	योग
		कोड सं० 3010	3020	3030	3040	3050	301001	307001	303001	3060	3070	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	विनम्र खण्ड	20.00	32.00	20.00	10.00	15.00	-	-	-	-	-	97.00
2.	वास्तु खण्ड	30.00	30.00	20.00	10.00	25.00	-	-	-	-	-	115.00
3.	विशेष खण्ड	25.00	10.00	10.00	-	7.00	-	-	-	-	-	52.00
4.	विराट खण्ड	25.00	3.00	4.00	2.00	10.00	-	-	-	-	3.00	47.00
5.	विराज खण्ड	75.00	50.00	40.00	25.00	40.00	-	-	-	10.00	-	240.00
6.	विनीत खण्ड	75.00	30.00	10.00	20.00	10.00	-	-	-	5.00	6.00	156.00
7.	विजयन्त खण्ड	30.00	15.00	30.00	2.00	30.00	-	-	-	3.00	-	110.00
8.	विक्रान्त खण्ड	8.00	-	10.00	-	8.00	-	-	-	-	-	26.00
9.	विभूति खण्ड	40.00	20.00	5.00	-	-	-	10.00	-	10.00	-	85.00
10.	विभव खण्ड	30.00	50.00	10.00	-	5.00	-	-	-	-	-	95.00
11.	विकल्प खण्ड	75.00	50.00	25.00	-	40.00	-	-	-	-	-	190.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
12.	नेहरू इन्क्लेव	20.00	10.00	30.00	5.00	-	-	20.00	-	-	-	85.00
13.	गोमती नगर/वाह्य विकास	100.00	100.00	-	-	-	-	-	25.00	47.00	-	272.00
14.	गोमती नगर विस्तार से०2	150.00	20.00	10.00	-	-	-	-	-	5.00	-	185.00
15.	शारदा नगर	50.00	100.00	-	-	30.00	-	10.00	-	-	30.00	220.00
16.	ट्रान्सपोर्ट नगर	50.00	30.00	5.00	-	20.00	-	3.00	1.00	-	30.00	139.00
17.	कानपुर रोड	100.00	10.00	6.00	15.00	25.00	-	25.00	30.00	-	50.00	261.00
18.	विश्वास, विजय, विशाल विकास, विराम, विनय विवेक, विपुल खण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
19.	सीतापुर रोड	100.00	40.00	40.00	10.00	100.00	-	-	20.00	-	35.00	345.00
20.	सीतापुर रोड सेक्टर-जे	90.00	50.00	40.00	15.00	50.00	-	-	-	5.00	-	250.00
21.	प्रियदर्शिनी योजना	20.00	30.00	5.00	5.00	20.00	-	-	2.00	2.00	5.00	89.00
22.	जानकीपुरम् विस्तार	200.00	150.00	100.00	40.00	100.00	-	-	-	5.00	-	595.00
23.	हरदोई रोड	100.00	50.00	40.00	20.00	50.00	-	-	10.00	2.00	5.00	277.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
24.	ऐशवाग	10.00	3.00	-	5.00	-	-	-	-	-	10.00	28.00
25.	रामनगर	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	25.00	125.00
26.	ग्राम पारा	-	18.00	5.00	-	30.00	-	1.00	-	-	-	54.00
27.	बालागंज, टिकैतराय, चारबाग, वजीरहसन	-	-	-	-	15.00	-	10.00	10.00	-	-	35.00
28.	मोतीझील	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	15.00
29.	कंचन मार्केट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00
30.	नन्दा खेड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00
31.	टिकैतराय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	25.00
32.	आजाद नगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00
23.	अलीगंज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00
24.	वि०/या० द्वारा योजनाओं में सड़क का कार्य	-	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
		1423.00	1001.00	465.00	184.00	630.00	300.00	79.00	98.00	94.00	484.00	4758.00

क्रम सं०	कोड सं०	योग रू०	4,758.00	लाख
1.	3080	नगर निगम को स्थानान्तरित खण्डों हेतु	40.00	लाख
2.	3090	जल संस्थान को स्थानान्तरित खण्डों हेतु	20.00	लाख
3.	30100	अवस्थापना निधि के कार्य	500.00	लाख
4.	30110	जमुना झील का विकास कार्य	50.00	लाख
5.	30120	जानकीपुरम् विस्तार में वृक्षारोपण	20.00	लाख
6.	30130	जानकीपुरम् विस्तार के तालाब का सौन्दर्यीकरण	20.00	लाख
7.	30140	पुराना आर०टी०ओ० काम्प्लेक्स	50.00	लाख
8.	30150	गोमती नदी (लक्ष्मण स्थल) पैन्टून पुल	15.00	लाख
9.	30160	श्रम विहार का विकास कार्य	10.00	लाख
10.	30170	बालू अड्डा का विकास	20.00	लाख
11.	30180	स्वर्ण जयन्ती पार्क	20.00	लाख
12.	30190	वजीर हसन रोड योजना	10.00	लाख
13.	30200	घसियारी मण्डी का विकास कार्य	30.00	लाख
14.	30210	ला-प्लास में फायर फाइटिंग कार्य	50.00	लाख
15.	30220	गोमती प्रदूषण नियंत्रण हेतु	2.00	लाख
16.	30230	बाढ़ सुरक्षा हेतु	100.00	लाख
17.	30240	स०अ० वि०/य० द्वारा कराये जाने वाले कार्य	200.00	लाख
18.	30250	स०अ० (पार्क) गोमती नगर फोज-। तथा ।। के कार्य	50.00	लाख
19.	30260	योजनाओं सेन्टर डिवाइडर/स्ट्रीट लाइट	40.00	लाख
20.	30270	कानपुर रोड तथा महानगर में वि०/य० द्वारा जलोत्सारण कार्य	8.00	लाख
21.	30280	वि०/य० द्वारा नये नलकूपों का निर्माण कार्य	50.00	लाख
22.	30290	अमृत लाल नगर सभागार का कार्य	10.00	लाख
23.	30300	गोमती नगर में मार्ग प्रकाश का रख-रखाव	20.00	लाख
24.	30310	ला-प्लास तथा विकास दीप में विद्युत का रख-रखाव	7.00	लाख
योग रू०			6,100.00	लाख

वर्ष 2002-2003 में निर्माण कार्यो पर प्रस्तावित व्यय प्रस्ताव

(परिशिष्ट-ख)

(लाख रूपये में)

क्रम सं०	योजना का नाम	विभिन्न श्रेणी के फ्लैट्स कोड सं० 4010	उच्च आय वर्ग 4020	मध्यम आय वर्ग 4030	अल्प आय वर्ग 4040	दुबल आय वर्ग 4050	आश्रय हीन भवन 4060	व्यवसायिक केन्द्र 4070	सामुदायिक केन्द्र 4080	याग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	नेहरू इन्क्लेव	50.00	-	-	-	-	-	40.00	-	90.00
2.	विनम्र खण्ड	-	15.00	15.00	15.00	-	-	-	-	45.00
3.	वास्तु खण्ड	-	10.00	7.00	20.00	-	-	-	-	37.00
4.	विभव खण्ड	-	-	43.00	-	-	-	45.00	-	88.00
5.	विराट खण्ड	-	-	-	-	-	-	25.00	10.00	35.00
6.	विराज खण्ड	-	-	-	-	-	-	15.00	-	15.00
7.	गोमती नगर	20.00	-	-	-	-	-	-	-	20.00
8.	हरदोई रोड योजना	-	25.00	50.00	15.00	-	50.00	-	-	140.00
9.	प्रियदर्शी योजना	-	-	30.00	-	-	-	-	-	30.00
10.	सीतापुर रोड सेक्टर-एच	-	-	-	-	-	-	-	10.00	10.00
11.	सीतापुर रोड सेक्टर-जे	-	-	-	-	-	100.00	-	-	100.00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	जानकीपुरम् विस्तार	-	-	100.00	-	-	-	25.00	-	125.00
13.	शारदा नगर	-	-	-	-	-	-	25.00	10.00	35.00
14.	कानपुर रोड़ योजना	-	-	-	-	50.00	-	-	-	50.00
15.	कैलाश कुंज योजना	-	-	-	-	-	-	15.00	-	15.00
16.	नबीउल्ला रोड	-	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00
17.	सोनिया गांधी नगर	-	-	-	-	-	-	5.00	-	5.00
18.	घसियारी मण्डी	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
19.	अवध अपार्टमेंट	150.00	-	-	-	-	-	-	-	150.00
20.	ग्राम पारा	-	-	-	-	-	45.00	-	-	45.00
योग		270.00	50.00	245.00	50.00	50.00	195.00	200.00	30.00	1090.00

क्र०सं०	कोड सं०	योग	1090.00	लाख
1.	4090	गांधी सेतु निर्माण	100.00	लाख
2.	40100	प्राधिकरण भवन	80.00	लाख
3.	40110	प्राधिकरण स्टेडियम अलीगं	20.00	लाख
4.	40120	प्राधिकरण स्टेडियम गोमती नगर	20.00	लाख
5.	40130	गोमती नगर सीवेज पम्पिंग स्टेशन	50.00	लाख
योग			1,360.00	लाख

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
दिनांक 19 जून, 2002
का कार्यवृत्त।

उपरिस्थिति:

- | | | |
|-----|----------------------|--|
| 1. | श्री रवीन्द्र सिंह | आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 2. | श्री दिवाकर त्रिपाठी | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 3. | श्री वी.एन.गर्ग | आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं
विकास परिषद, उत्तर प्रदेश। |
| 4. | श्री नवनीत सहगल | जिलाधिकारी, लखनऊ। |
| 5. | श्री संजय भूसरेड्डी | विशेष सचिव, आवास, उ.प्र. शासन। |
| 6. | कैप्टन एस.के.दिवेदी | मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम,
लखनऊ। |
| 7. | श्री वी.के.गुप्ता | मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक,
उत्तर प्रदेश। |
| 8. | श्रीमती रीता विशाल | संयुक्त निदेशक, उद्योग। |
| 9. | श्री राम अघार सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 10. | डा. सियाराग | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 11. | श्री जयपाल सिंह | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 12. | श्री आर.ए.प्रसाद | अपर निदेशक,
प्रतिनिधि महानिदेशक, पर्यटन। |
| 13. | श्री लालाराम | अधीक्षण अभियन्ता,
प्रतिनिधि मुख्य अभियन्ता, जलनिगम। |



अन्य उपस्थिति:

1.	कु. रेखा गुप्ता	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री भूपेन्द्र सिंह	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
3.	श्री मनमोहन	मुख्य लेखाधिकारी, ल0वि0पा0।
4.	श्री ललित मेहरोत्रा	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0पा0।
5.	श्री अमरेश सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0पा0।

वैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सदस्यों का औपचारिक परिचय प्राप्त किया गया। स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.12.2001 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

निर्णय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.12.2001 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्वसम्मति से की गई।

विषय संख्या : 2 लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18.12.2001 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।


निर्णय : प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया तथा निम्नांकित निर्देश दिये गये :-

(1). कानपुर रोड भाग-4 के अन्तर्गत ग्राम भदरुख की अधिभूत भूमि के समायोजन के सम्बन्ध में निर्णीत हुआ कि समायोजन की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराई जाये। शासन स्तर से जो निर्णय अपेक्षित है उसके लिये शासन को पत्र भेजा जाये।

(2). भूखण्ड संख्या- एन.एच.-2, विश्वास खण्ड के प्रकरण पर कृत कार्यवाही की प्रगति की जानकारी की गई। अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में प्रस्तुत कार्यसूची के अन्तर्गत अलग से प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया है।

(3). जनपथ मार्केट के किराये के सम्बन्ध में जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि पुरानी दर से किराया प्राप्त हो रहा है परन्तु राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा किराये में वृद्धि नहीं की जा रही है।

(4). कैंलास कुँज की पारिक्म व्यवस्था के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अवेध कब्जे के कारण पारिक्म



के ठेके के विरुद्ध समुचित धनराशि नहीं प्राप्त हो पा रही है अतिक्रमण/अवेध कब्जे हटाने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। निर्देश दिये गये कि आगामी बैठक में अन्य गदी [पार्कों के प्रवेश शुल्क, कैंटीन, पार्किंग आदि] में शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये।

5). आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली वकाया किस्तों की अनुमानित मांग आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

6). व्यवसायिक भूखण्डों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी करने के उपरान्त निर्देश दिये गये कि 118 बड़े व्यवसायिक भूखण्डों तथा अवशेष छोटे व्यवसायिक भूखण्डों का निस्तारण शीघ्र कराया जाये एवं निस्तारण की प्रगति आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

को इतनी लम्बी
करायेगी।

7). कैसरबाग स्थित गण्डी स्थल पर प्रस्तावित योजना की प्रगति की जानकारी अध्यक्ष महोदय द्वारा चाही गई। उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि आवासीय पुनर्वास हेतु एक कमरे के भवनों का निर्माण प्रगति पर है। निर्देश दिये गये कि अन्य आवश्यक कार्यवाही तत्काल कराई जाये एवं यदि शासन स्तर से कोई निर्णय अपेक्षित हो तो शासन को सन्दर्भ किया जाये।

8). विभिन्न खण्ड में पर्यटन विभाग के भू-उपयोग के प्रकरण पर निर्देश दिये गये कि इसे आगामी प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

9). 29 पार्क रोड पर स्थित प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. के भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पत्राली मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक को परीक्षण हेतु दिनांक 18.1.2002 को प्रेषित की जा चुकी है। मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक को शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश दिये गये।

10). कानपुर रोड योजना में मे0 अन्सल्स हाउसिंग द्वारा प्रस्तुत संशोधित तलपट मानचित्र के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि विलम्बतम एक माह के अन्दर सर्वे की कार्यवाही पूर्ण कराई जाये।

11). कानकरेन्ट/मैनेजमेन्ट आडिट रिपोर्ट जुलाई, 2001 पर विस्तृत चर्चा हुई। अवगत कराया गया कि इस बैठक का एजेंडा एवं बैठक में उपस्थित होने हेतु चार्टर्ड

एकाउन्टेन्ट को पत्र भेजा गया था, व्यक्तिगत रूप से भी दूरभाष पर उनसे अनुरोध किया गया था परन्तु वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए। निदेशक, आवास वन्धु एवं विशेष सचिव, आवास श्री रेड्डी से अनुरोध किया गया कि वे इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करायें। मैनेजमेन्ट आडिट में उठाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया।

निर्देश दिये गये कि कान्फरेन्ट/मैनेजमेन्ट आडिट में उठाई गई आपत्तियों एवं निराकरण के सम्बन्ध में प्रत्येक वीर्ड बैठक में अलग से विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाया करे। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उपाध्यक्ष इस विषय पर अपने स्तर पर अलग से एक बैठक करके उठाई गई आपत्तियों का निराकरण करा दें।

(12). व्यवसायिक गुर्रण्डों के बड़े बकायेदारों से प्राप्त हुई वसूली एवं निर्गत किये गये रिक्वरी सर्टिफिकेट का विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

(13). निर्देश दिये गये कि अवशेष वसूली, किये जा रहे कार्यों की प्रगति, आगामी पांच वर्षों के लिये प्रस्तावित कार्य-योजना आदि के सम्बन्ध में एक अलग विस्तृत प्रस्ताव आगामी बैठकों में प्रस्तुत किया जाया करे।

(14). विगत बैठक के अन्य बिन्दु के अन्तर्गत नाले पर किये गये अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध की गई कार्यवाही से अवगत होते हुए अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम को निर्देश दिये गये कि नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कर इस अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कराये जाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायें।

(15). लखनऊ महायोजना 2001-2021 की संरचना की प्रगति के सम्बन्ध में मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश से जानकारी प्राप्त की गई। प्रगति से अवगत होते हुए निर्देश दिया गया कि विनम्बतम 31 जुलाई, 2002 तक टेन्टेटिव महायोजना का डाफ्ट अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि डाफ्ट तैयार करने से पूर्व शहर में सुविधायी प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण विभागों के साथ बैठक करके उनके सुझाव अवश्य प्राप्त कर लिये जायें। मुख्य रूप से कुछ विभागों का उल्लेख भी किया गया जैसे - रेलवे विभाग, दिजली विभाग, रक्षा विभाग, अग्नि शमन, पुलिस एवं टैफिक, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, सेन्टल गाउन्ड वाटर बोर्ड, टेलीफोन, टेलीकाम, ऑस्टिकल फाइबर आदि। उपाध्यक्ष, ल.वि.पा. द्वारा कहा गया कि

इस विषय पर एक सेमीनार आयोजित करा दिया जाये जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों को आमन्त्रित कर लिया जाये। इसपर सहमति व्यक्त की गई।

महायोजना 2001-2021 के ड्राफ्ट के परीक्षण हेतु उपाध्यक्ष, ल.वि.प्रा. की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसमें मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश सदस्य तथा समिति के संयोजक मुख्य नगर नियोजक, ल.वि.प्रा. होंगे।

(16). निर्देश दिये गये कि विगत दो वर्षों में लिये गये ऐसे निर्णय जिनके अनुपालन अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, का विवरण आगामी बैठक में परस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण का मूल आय व्ययक वर्ष 2002-2003 ।

निर्णय :

उपाध्यक्ष द्वारा आय व्ययक की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए अवगत कराया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की वर्ष 2001-2002 की प्रस्तावित आय रु 23061.00 लाख के सापेक्ष रु 23296.93 लाख की कुल आय इस वर्ष अर्जित की गई जो कि प्रस्तावित आय का 101.03 प्रतिशत है। वर्ष 2001-2002 में गत वर्ष की अपेक्षा रु 6102.57 लाख की अधिक आय प्राप्त की गई है जो गत वर्ष की तुलना में 35.49 प्रतिशत अधिक है। प्राधिकरण द्वारा अपने श्रोतों से जो आय प्राप्त की गई है वह भी विगत वर्ष की तुलना में 50.23 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष निर्माण/डिपॉजिट कार्यों पर रु 2005.94 लाख का व्यय किया गया।

उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा बैंको/हुडको के समस्त ऋणों का प्रतिदान समय से सुनिश्चित किया गया। इसमें किसी प्रकार का डिफाल्ट नहीं रहा। इस वर्ष 2001-2002 में विकास/निर्माण कार्यों, ऋणों तथा प्रतिकर का भुगतान प्राधिकरण द्वारा अपने श्रोतों की आय से किया गया है क्योंकि हुडको से इस वर्ष कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ। इस वर्ष रु 22,072.62 लाख का व्यय किया गया है।

वर्ष 2001-2002 में कोई ऋण न प्राप्त होने के बावजूद प्रस्तावित वास्तविक आय (ऋण से प्राप्त होने वाली प्रस्तावित आय को कम करते हुए) रु 18061.00 लाख की तुलना में रु 23296.93 लाख की आय अर्जित की गई जो कि प्रस्तावित आय से 29 प्रतिशत अधिक है।

उपाध्यक्ष द्वारा मुख्य रूप से अवगत कराया गया कि शासन स्तर से प्राधिकरण को प्राप्त होने वाली स्टैम्प शुल्क मद की लगभग 4-5 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसे प्राप्त करने के लिये हर स्तर से अधिक प्रयास किये जा रहे हैं। यह भी अवगत कराया गया कि राजस्व [रेवन्यु] मद में प्राधिकरण को मुख्यतः लीजरेन्ट एवं किराया वसूली से आय प्राप्त होती थी परन्तु पुरानी सम्पत्तियों के फ्री-होल्ड में परिवर्तित हो जाने तथा किराये की सम्पत्ति के विक्रीत हो जाने के कारण यह आय नगण्य हो गई है।

विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अधिक ब्याज दर पर पूर्व में जो ऋण प्राप्त किये गये उन्हें तत्काल वापस करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं जिन संस्थाओं से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त हो सकता है उन्हें प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि राजस्व आय पक्ष के अन्तर्गत सेन्टेज चार्ज को भी सम्मिलित किया जाये।

प्रस्तावित आय व्यय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मद में वर्ष 2001-2002 में किये गये वास्तविक व्यय रु० 24.41 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित रु० 47.85 लाख को संशोधित कर रु० 25.00 लाख किया जाये।

विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श के उपरान्त सर्व सम्मति से हर्ष ध्वनि के साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण का वर्ष 2002-2003 का आय-व्ययक उपरोक्त संशोधन के साथ स्वीकृत किया गया।

विषय संख्या : 4

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्स शीट वर्ष 2000-2001 ।

निर्णय :

प्रस्तुत की गई लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैलेन्सशीट का अवलोकन किया गया। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि बैलेन्सशीट को नकद आमदनी { Cash Income } के आधार पर डबल इन्ट्री सिस्टम { Double entry system } पर आधारित होना चाहिये। शासन से प्राप्त अकाउन्ट मैनुअल को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये तथा संस्था हित एवं कार्यहित में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत जिन संशोधनों की आवश्यकता हो उन्हें बोर्ड से अनुमोदित कराकर शासन को सन्दर्भित किया जाये। यदि यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है तो इसके दीर्घकालीन प्रतिकूल परिणाम निश्चित रूप से संस्था पर पड़ेगे। यह इर्सलिये भी अति आवश्यक हो गया है क्योंकि अब लखनऊ विकास प्राधिकरण आयकर

अधिनियम के अन्तर्गत करदाता हो गया है। यदि अप्राप्त आय को प्राप्त आय में दर्शाया जायेगा तो कर बहुत अधिक देय होगा जबकि वास्तविक आय अपेक्षाकृत बहुत ही कम प्राप्त होगी।

वैलेन्स-शीट में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जो विवरण प्राप्त न होना दर्शाया है, वे सभी अभिलेख/रजिस्टर/विवरण पत्र/रिकन्सीलियेशन आदि उन्हें उपलब्ध करा दिये जायें ताकि वैलेन्स-शीट सही-सही बन सके। उपरोक्त निराकरणों के साथ 30 सितम्बर, 2002 तक वैलेन्स-शीट प्रस्तुत हो।

विषय संख्या : 5

स्वैच्छिक शमन योजना 1998 के आंशिक भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों, पुनः विधिवत् अध्ययन कर तथात्मक टिप्पणी सहित प्रस्तुत किये गये प्रकरणों एवं अवशेष आंशिक व पूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के सम्बन्ध में।

निर्णय :

स्वैच्छिक शमन योजना 1998 के 242 भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरण, पुनरीक्षण के 26 प्रकरण, इस प्रकार कुल 268 [आंशिक एवं पूर्ण भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी] प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त इस सम्बन्ध में प्राप्त शासनादेशों एवं उपविधियों में किये गये प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए गठित उपसमिति की संस्तुतियों को संज्ञान में लेने के उपरान्त निम्नांकित अस्वीकृत किये गये प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरणों को स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि पक्ष को स्वीकृत शमन मानचित्र तभी निर्गत किया जायेगा जब अशमनीय भाग को पक्ष द्वारा स्वयं अथवा अन्य प्रकार से ध्वस्त कर दिया गया हो। अस्वीकृत किये गये प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें किसी भी माननीय न्यायालय में वाद विचाराधीन हो।
2. गेस्ट हाउस/गेरेज हाल के प्रकरण।
3. प्रदूषण उत्पन्न करने वाली इकाइयों के प्रकरण। इनमें सीमेन्ट गोदाम, मार्बल शाप्स, प्रेस्ड स्टील एवं फेबरीकेटर्स आदि के प्रकरणों को भी अस्वीकृति की श्रेणी में रखा गया है।
4. जिन प्रकरणों में जन समुदाय से आपत्तियां प्राप्त हुई हैं।
5. निम्नांकित व्यावसायिक प्रकरणों को शमनित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि इन प्रकरणों में पुनः स्थल निरीक्षण करके देख लिया जाये कि क्या नियमान्तर्गत यह प्रकरण शमन किये जाने योग्य हैं एवं इनको शमनित किये जाने से अन्य



सगीपरश निवसित व्यक्तियों को कोई कठिनाई तो नहीं उत्पन्न होगी :-

क्रमांक	प्रस्ताव में क्रमांक	नाम एवं स्थल का पता
1.	128	श्रीमती विमलेश, डी-3/448, सेक्टर एच, का0 रोड योजना।
2.	129 { पुनरी- 4}	श्रीमती मनोरमा शाह, एम-3/891, सेक्टर एच, का0 रोड योजना।
3.	140	श्रीमती सीमा अरोड़ा, एम-3/461, सेक्टर एच, का0 रोड योजना।
4.	144	श्रीमती सविता, एसाएसा/1258, सेक्टर एच, का0 रोड योजना।
5.	152	श्रीमती लाली शुक्ला, एल-2/82, सेक्टर जी, का0 रोड योजना।
6.	153	श्री सुरेन्द्र कुमार, एमडीएस/25, सेक्टर जी, का0 रोड योजना।
7.	154	श्री धीरज कपूर, एमडीएस/79, सेक्टर जी, का0 रोड योजना।
8.	163	श्रीमती जनक रानी, एल-2/25, सेक्टर एफ, का0 रोड योजना।
9.	165	श्री आर.पी.शाह, सी-38, सेक्टर एफ, का0 रोड योजना।
10.	171	श्री शमशुद्दोहा, एम-683, सेक्टर एफ, का0 रोड योजना।
11.	205	श्री एन.एन.सरकार, एमडी-1/19, सेक्टर डी-1, का0 रोड योजना।
12.	224	श्री शोकत जमाल सिद्दीकी, एम.आई.जी.-11, ऐशवाज।

6. स्टैटिस्टिक समन प्रक्रिया के प्राविधानों में शमनीय ऐसे प्रकरण जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं एवं जिनमें महायोजना के प्राविधान अन्तर्निहित हैं, ऐसे प्रकरणों को शासन को निर्णय हेतु सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 10

शासनादेश संख्या : 4784/9-आ-1-29-विविध/98 [अ.न.] दिनांक 15 सितम्बर, 2001 " विकास प्राधिकरण भवन उपविधि 2000 में आवश्यक संशोधनों " को अंगीकृत किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय :

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्तुत किये गये शासनादेश दिनांक

25 सितम्बर, 2001 एवं 1 मार्च, 2002 को अवलोकित किया गया तथा शासनादेश संख्या : 4784/9-आ-1-29-विविध/98 [अ.व.], दिनांक 15 सितम्बर, 2001 द्वारा " विकास प्राधिकरण भवन उपविधि 2000 में आवश्यक संशोधनों " को अंगीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 11 शासन से प्राप्त आदर्श जोनिंग रेगुलेशन को अंगीकृत किये जाने से सम्बन्धित।

निर्णय : बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचार विमर्श के मध्य यह तथ्य प्रकाश में लाये गये कि लखनऊ महायोजना 2001-2021 की संरचना का कार्य प्रगति पर है। इस स्थित में अलग से जोनिंग रेगुलेशन्स को अंगीकृत किया जाना श्रेयकर नहीं प्रतीत होता है। विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त इस प्रकरण पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की गई जिसके अन्य सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

1. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ।
2. मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. आवास आयुक्त, उ.प्र.आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि।
4. महानिदेशक, पर्यटन के प्रतिनिधि।


अन्य प्रस्ताव :


प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 18.12.2001 के अनुपूरक विषय संख्या : 18 पर लिये गये निर्णय के अनुपालन में गोमती नगर विस्तार योजना के सम्बन्ध में टिप्पणी, विभिन्न सुविधाओं के डिजाइन कनसेप्ट तथा एक आवासीय खण्ड के भू-विन्यास मानचित्र का प्रस्तुतिकरण बोर्ड के समक्ष किया गया।


2. गोमती नगर विस्तार योजना से होकर जाने वाली प्रस्तावित लखनऊ बाई-पास [अमर शहीद पथ] के दोनों ओर लगभग 5500 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु एक प्रस्ताव तथा 'कनसेप्ट' प्रस्तुत किया गया। आवास की बढ़ती मांग एवं सुनियोजित विकास के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण पर सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त की गई।



समयाभाव के कारण अन्य सभी प्रस्ताव आगामी बैठक हेतु स्थगित कर दिये गये। अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।


[कु. रेखा गुप्ता]
सचिव


[दिवाकर त्रिपाठी]
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

[रवीन्द्र सिंह]
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।